प्रशिक्षण मैनुअल

हरियाणा में सतत् विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण

जिला स्तरीय ट्रेनर्स हेतु
मैनुअल एवं संसाधन-किट

SDGCC
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS COORDINATION CENTRE

विषयसूची

1. परिचय -- 01

1.1 संदर्भ और पृष्ठभूमि -------------------------------------- 01

1.2 प्रशिक्षण मैनुअल के उद्देश्य ---------------------------------- 02

1.3 लक्षित उपयोगकर्ता -- 03

2. एसडीजी को समझना -- 04

2.1 एसडीजी का अवलोकन --------------------------------------- 04

2.2 एसडीजी और उनके विशिष्ट टार्गेट्स ----------------------- 06

2.3 एसडीजी के लिए संस्थागत तंत्र ---------------------------- 12

3. एसडीजी स्थानीयकरण: आवश्यकता और रणनीति ------14

3.1 एसडीजी स्थानीयकरण का महत्व ----------------------------14

3.2 विकासात्मक योजना में एसडीजी को एकीकृत करना --------15

4. हरियाणा में एसडीजी कार्यान्वयन ---------------------------- 16

4.1 एसडीजी पर हरियाणा की प्रगति ---------------------------- 16

4.2 हरियाणा में एसडीजी-वार पहल ---------------------------- 18

5. एसडीजी कार्यान्वयन में जिले के विभागों की भूमिका ---- 31

5.1 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण ---------------------------- 31

5.2 विभिन्न विभागों की भूमिका एवं महत्व ---------------- 32

6. जिला स्तर पर एसडीजी कार्यान्वयन के लिए टूल्स ----- 33

6.1 हरियाणा एसडीजी जिला सूचकांक --------------------33

6.2 एसडीजी जिला प्रोफाइल: स्थानीय परिदृश्य को समझना----- 35

6.3 जिला संकेतक ढांचा: प्रगति को मापना ------------------- 36

6.4 जिला प्रगति ऐप: प्रौद्योगिकी का उपयोग -------------- 37

7. एसडीजी कार्यान्वयन में स्थानीय निकायों की भूमिका --- 38

7.1 पीआरआई में एसडीजी स्थानीयकरण के लिए एमओपीआर द्वारा विधि ---------------- 38

7.2 यूएलबी में एसडीजी --------------------- 45

8. स्थानीय स्तर पर एसडीजी कार्यान्वयन के लिए टूल्स --- 47

8.1 स्थानीय संकेतक फ्रेमवर्क (एलआईएफ) --------------------- 47

8.2 पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई) --------------------------48

9. सामुदायिक स्तर पर एसडीजी: अन्य हितधारकों को शामिल करना --------------------- 49

9.1 'संपूर्ण-समाज' दृष्टिकोण --------------------------------- 49

9.2 गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र की भूमिका ---------------- 49

9.3 लैंगिक समानता और एसडीजी: एक क्रॉस-कटिंग प्राथमिकता -------------------------- 50

10. समुदायों को शामिल करने और जोड़ने के तरीके ------- 51

10.1 केस स्टडीज और वृत्तचित्र: सफलता से सीखना ---------- 51

11. प्रशिक्षकों के लिए कार्य बिंदु --------------------------- 55

11.1 जीपीडीपी, ब्लॉक और जिला स्तरीय योजनाएं तैयार करने में सुविधा ----------- 55

11.2 कार्य चेकलिस्ट: प्रशिक्षकों के लिए एक रोडमैप ---------- 64

1. परिचय

प्रशिक्षण मैनुअल के इस भाग में, हम सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के प्रामाणिक संदर्भ और पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालेंगे। यह भाग, एसडीजी की वैश्विक आवश्यकता से लेकर भारत, विशेषकर हरियाणा राज्य के संदर्भ में इनके महत्व को जानने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम आशा करते हैं कि इस भाग की समझ, एसडीजी के स्थानीयकरण की जरूरत को समझने में जिला-स्तरीय संसाधन प्रशिक्षकों की मदद करेगी।

1.1 संदर्भ और पृष्ठभूमि

2015 में, संयुक्त राष्ट्र ने सतत् विकास के लिए 2030 एजेंडा को अपनाया, जिसमें 17 सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को शामिल किया गया। एसडीजी का मुख्य उद्देश्य गरीबी को खत्म करना, हमारी पृथ्वी की सुरक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि 2030 तक, सभी जगह शांति और समृद्धि हो सके।

भारत के संदर्भ में, नीति आयोग ने इन एसडीजी को राष्ट्रीय स्तर पर चिन्हित किया है, और इन्हें देश की विकास की मुख्य प्राथमिकताओं से मेल खाते हुए रखा गया है। विविध सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं वाले राज्य हरियाणा के लिए, एसडीजी समग्र विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संबंधी पहलुओं का ध्यान रखा जाता है।

फिर भी, एसडीजी द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पाने के लिए, हमें स्थानीय स्तर पर काम करना होगा - जैसे कि जिलों, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों में - जहां नीतियाँ लागू की जाती हैं, और जहां समुदाय सीधे प्रभावित होते हैं।

1.2 प्रशिक्षण मैनुअल के उद्देश्य

इस प्रशिक्षण मैनुअल को स्थानीय स्तर पर एसडीजी को समझने, लागू करने और निगरानी करने के लिए जिला-स्तरीय प्रशिक्षकों के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका और संसाधन-किट के रूप में डिज़ाइन किया गया है।

इस मैनुअल का उद्देश्य प्रशिक्षकों की क्षमता निर्माण करना है ताकि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में एसडीजी प्राप्त करने के लिए विभागों, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकायों और समुदाय-स्तरीय संगठनों सहित प्रमुख हितधारकों को प्रभावी ढंग से जागरूक कर सकें। यह मैनुअल एसडीजी के विभिन्न पहलुओं और उनके उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, और एसडीजी को स्थानीय स्तर पर लागू करने के लिए राज्य-विशिष्ट संसाधन (टूल्स), उत्तम प्रथाएं (बेस्ट प्रेक्टिसिस) और कार्रवाई योग्य मार्गदर्शन प्रदान करता है।

इस प्रशिक्षण मैनुअल के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और उनके विशिष्ट टार्गेट्स की गहन समझ प्रदान करना, उनके वैश्विक महत्व पर प्रकाश डालना।
- 'संपूर्ण सरकार' और 'संपूर्ण समाज' दृष्टिकोण सहित जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तरों पर एसडीजी स्थानीयकरण की आवश्यकता को समझाना।
- यह स्पष्ट करने के लिए कि एसडीजी को विकासात्मक योजना प्रक्रियाओं में कैसे प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।
- जिला-स्तरीय प्रशिक्षकों को एसडीजी पर हरियाणा की प्रगति, एसडीजी पर जिलों के प्रदर्शन से परिचित कराना और स्थानीय कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा में सफल पहलों व नवाचारों को प्रदर्शित करना।
- एसडीजी कार्यान्वयन में जिला-स्तरीय विभागों की सुझावात्मक भूमिका के बारे में प्रशिक्षकों को अवगत कराना।
- प्रशिक्षकों को जिला स्तर पर एसडीजी कार्यान्वयन के लिए व्यावहारिक टूल्स जैसे कि हरियाणा एसडीजी जिला सूचकांक, एसडीजी जिला प्रोफाइल, जिला संकेतक फ्रेमवर्क और जिला प्रगति ऐप, आदि से परिचित कराना।
- एसडीजी को स्थानीय बनाने में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के महत्व और स्थानीय स्तर पर प्रभाव को सक्षम करने संबंधित टूल्स व कार्यबिंदु के बारे मे बताना।
- एसडीजी कार्यान्वयन में समुदायों और अन्य हितधारकों को एकजुट करने और एसडीजी में लैंगिक समानता की क्रॉस-कटिंग प्राथमिकता पर जोर देने के लिए प्रशिक्षकों को तैयार करना।
- हरियाणा के संदर्भ में एसडीजी संबंधित केस अध्ययन और वृत्तचित्रों/ फिल्मों के माध्यम से प्रशिक्षकों को प्रेरित करना।
- प्रशिक्षकों को टू-डूस चेकलिस्ट के रूप में व्यावहारिक, कार्रवाई योग्य मार्गदर्शन प्रदान करना और ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी), ब्लॉक और जिला-स्तरीय एकीकृत योजनाओं के निर्माण में सहायता करना।

1.3 लक्षित उपयोगकर्ता

यह प्रशिक्षण मैनुअल मुख्य रूप से जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों के अधिकारियों के लिए तैयार की गई है, जो स्थानीय विकासात्मक योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार होते हैं। सामान्य तौर पर इन अधिकारियों का काम जिला-स्तरीय संसाधन व्यक्तियों या मास्टर प्रशिक्षकों के रूप में भी होता है, जो स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने का कार्य करते हैं। इनमें विभिन्न जिला-स्तरीय विभागों के अधिकारी, पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के सदस्य, और शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) भी शामिल हो सकते हैं, जो सरकारी योजनाओं को स्थानीय स्तर पर लागू एवं मॉनिटरिंग करते हैं।

इसके अतिरिक्त, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि, जो स्थानीय विकासात्मक पहल में शामिल होते हैं, उनके लिए भी यह मैनुअल उपयोगी हो सकती है। इस मैनुअल का मुख्य लक्ष्य उन्हें ऐसे प्रशिक्षकों को अपने संबंधित क्षेत्रों में सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति संबंधी योजना और कार्यान्वयन के लिए आवश्यक ज्ञान और संसाधनों (टूल्स) से लैस करना है, ताकि वे स्थानीय स्तर पर एसडीजी की दिशा में कार्य कर सकें। यह मैनुअल स्थानीय विकास में शामिल सभी प्रमुख पक्षों को एक साझा मंच पर लाने का प्रयास करता है, ताकि वे मिलकर सम्पूर्ण समाज के विकास को सुनिश्चित कर सकें।

2. एसडीजी को समझना

इस अध्याय में हम एसडीजी के विभिन्न पहलुओं के बारे में और उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक संस्थागत तंत्रों पर विचार करेंगे। एसडीजी का वैश्विक दृष्टिकोण और परिवर्तनशीलता को स्वीकारते हुए, भारत ने अपनी राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों में इन्हें आत्मसात करने का संकल्प लिया है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य एसडीजी के सिद्धांतों को हमारे संस्थागत तंत्रों के साथ तालमेल में लाना है, ताकि हम सतत् और समावेशी विकास की दिशा में प्रगति कर सकें।

2.1 एसडीजी का अवलोकन

सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी), जिन्हें वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है, 17 लक्ष्यों (गोल्स) का एक समूह है जिन पर संयुक्त राष्ट्र से संबंधित सभी देश 2015 में सहमत हुए थे। इन लक्ष्यों का मुख्य उद्देश्य गरीबी को समाप्त करना, पृथ्वी की देखभाल करना और सुनिश्चित करना कि वर्ष 2030 तक प्रत्येक व्यक्ति शांति और समृद्धि में रह सके। ये 17 लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं और वे सभी के लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। ये हमारे सामने आने वाली ऐसी वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु रास्ता बताते हैं, जिनमें गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, शांति और न्याय से संबंधित चुनौतियाँ शामिल हैं।

सतत् विकास लक्ष्य भले ही वैश्विक हैं और सभी पर लागू होते हैं, फिर भी हमें इन्हें विभिन्न राज्यों और जिलों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय वास्तविकताओं के अनुसर उपयुक्त बनाना चाहिए। हरियाणा के संदर्भ में, एसडीजी व्यापक और संतुलित विकास प्राप्त करने के राज्य के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।

सतत् विकास लक्ष्यों को साकार करना सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के सभी क्षेत्रों - सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सामाजिक समूहों, और हर एक व्यक्ति के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। एसडीजी "किसी को भी पीछे न छोड़ने" के सिद्धांत पर जोर देते हैं, जिसका अर्थ है समाज के सबसे उपेक्षित, कमजोर और उन वर्गों तक पहुंचना, जिन तक पहुंचना सबसे कठिन है।

सतत् विकास क्या है?

सतत् विकास संसाधनों को उपयोग करने का एक आदर्श मॉडल है जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति इस तरह से करे कि ये आवश्यकताएं न सिर्फ वर्तमान में पूरी की जा सकें, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों का भी ध्यान रख सके। सतत् विकास के तीनों आयामों- सामाजिक समावेशन, आर्थिक विकास एवं पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने से ही दीर्घकालीन टिकाऊ विकास संभव है।

17 सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) इस प्रकार हैं:

1. गरीबी खत्म करना	2. भुखमरी की समाप्ति	3. सभी के लिए स्वस्थ जीवन	4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
5. लैंगिक समानता	6. स्वच्छ जल एवं स्वच्छता	7. सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा	8. रोजगार एवं आर्थिक विकास
9. अधोसंरचना, नवाचार एवं औद्योगीकरण	10. असमानताओं में कमी	11. स्थायी शहर एवं समुदाय	12. उपभोग एवं उत्पादन में समझदारी
13. जलवायु परिवर्तन	14. जलीय जीवन	15. भूमि पर जीवन	16. शांति, न्याय एवं सशक्त संस्थाएँ

17. लक्ष्यों के लिए साझेदारी

2.2 एसडीजी और उनके विशिष्ट टार्गेट्स

17 सतत् विकास लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण और शासन (गवर्नेंस) संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं जिनके द्वारा हमारे जीवन की गुणवत्ता और खुशहाली प्रभावित होती है। इन लक्ष्यों को बेहतर ढंग से समझने और क्रियान्वित करने के लिए, प्रत्येक एसडीजी को विशिष्ट टार्गेट्स के एक समूह द्वारा परिभाषित किया गया है, सभी एसडीजी में कुल मिलाकर 169 टार्गेट्स हैं। ये टार्गेट्स व्यापक गोल्स (सतत् विकास लक्ष्यों) को प्राप्त करने की दिशा में अधिक विस्तृत रूपरेखा और कार्रवाई योग्य कदम प्रदान करते हैं।

एसडीजी से जुड़ा प्रत्येक टार्गेट् संक्षिप्त, स्पष्ट और मापने योग्य बनाया गया है, जिससे प्रगति की स्पष्ट निगरानी और मूल्यांकन हो सके। टार्गेट्स यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं (परिणाम) और हमें इसे प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा (कार्यान्वयन के उपाय)। ये नीति और वित्तीय प्रतिबद्धताओं से लेकर प्रौद्योगिकी विकास और क्षमता निर्माण तक विभिन्न पहलुओं को संबोधित करते हैं। इन टार्गेट्स का उद्देश्य न केवल एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में एक रोडमैप बनाना है, बल्कि जवाबदेही बनाना और सहयोगात्मक समस्या-समाधान को प्रोत्साहित करना भी है।

सतत् विकास लक्ष्यों संबंधित मुख्य टार्गेट्स निम्नलिखित हैं-

- अत्यधिक गरीबी ख़त्म करना
- गरीबी के सभी आयामों में जीवनयापन कर रहे लोगों की संख्या को आधा करना
- गरीब व् कमजोर वर्ग के लोगों को आवश्यक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में शामिल करना
- सभी को, विशेष रूप से गरीब और कमजोर को आर्थिक अधिकारों के समान अधिकारों के साथ-साथ मूलभूत सेवाएं, भूमि, संपत्ति, नई प्रौद्योगिकी, माइक्रोफाइनेंस सहित वित्तीय सेवायें आदि पर स्वामित्व और नियंत्रण

- भोजन की वर्ष भर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना
- कुपोषण को समाप्त करना
- कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना
- सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना तथा मौसमी परिवर्तन, सूखा, आपदा आदि सहन कर सकने वाली कृषि पद्दति अपनाना जो भूमि एवं मृदा की गुणवत्ता भी सुधार सके
- बीज, पौधों एवं जानवरों की प्रजातियों में आनुवांशिक विविधता बनाए रखना

3 अच्छी सेहत एवं तंदरुस्ती

- मातृ- मृत्यु व शिशु- मृत्यु में कमी लाना
- एड्स, टी.बी., मलेरिया, हेपेटाइटिस, एवं अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम
- गैर- संक्रामक रोगों के रोकथाम एवं उपचार तथा मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन
- मादक औषधियों आदि के दुरूपयोग की रोकथाम एवं उपचार
- परिवार नियोजन तथा यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी सेवा, सूचना और शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज तथा सभी के लिए सुरक्षित, गुणवत्तायुक्त एवं सस्ती आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं, दवाइयों, टीकों तक पहुंच एवं उप्लब्धता

4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

- सभी लड़कियों एवं लड़को को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालयीन, तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा सुनिश्चित करना
- कौशलवान युवाओं और वयस्कों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार, सम्माननीय कार्य एवं उद्यमिता के माध्यम से वास्तव में बढ़ाना
- असुरक्षित परिस्थितियों में रह रहे बच्चों, दिव्यांग व्यक्तियों एवं राज्य के लोगों को शिक्षा व व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रत्येक स्तर पर पहुँच को समान रूप से सुनिश्चित करना

5 लैंगिक समानता

- महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव, हिंसा (यौन शोषण, मानव तस्करी आदि) को समाप्त करना
- बाल विवाह जैसी हानिकारक प्रथाओं का अंत करना
- घरेलु कार्यों का सम्मान करना, परिवार में साझे उत्तरदायित्व को उचित रूप से बढ़ावा देना
- महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक निर्णयों एवं नेतृत्व के समान अवसर व सहभागिता
- यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकारों तक सभी की पहुंच
- भूमि, संपत्ति व अन्य आर्थिक/ प्राकृतिक संसाधनों पर, कानून के अनुसार, महिलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण सुनिश्चित करना
- महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सूचना और संचार प्रौद्द्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना

- सुरक्षित एवं सस्ती पेयजल तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना
- सभी के लिए स्वच्छता - खुले में शौच को समाप्त करना
- जल गुणवत्ता को सुधारना (प्रदूषण, खतरनाक रसायनों के प्रवाह को कम करते हुए, लापरवाही से कूड़ा फेंकने की प्रथा का अंत करते हुए, आदि)
- सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन
- पर्वतों, वनों, नदियों, झीलों आदि का संरक्षण और पुनरुद्धार करना
- जल और स्वच्छता प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की सहभागिता

- सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाएं सुनिश्चित करना
- नवीकरणीय उर्जा के उपयोग को बढ़ावा
- उर्जा दक्षता में बढ़ावा

- श्रम आधारित क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ नवाचार, उद्यमिता एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार के नये अवसर उत्पन्न करना ।
- 2030 तक सभी (महिला, पुरुष, युवा एवं दिव्यांग) के लिये सम्माननीय कार्य एवं रोजगार सुनिश्चित करना ।
- सभी प्रकार की बाल-मजदूरी को समाप्त करना ।
- मजदूरों के अधिकारों को संरक्षित करना तथा प्रवासी मजदूरों (खासकर महिलाओं) को कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण मिल सके ।
- पर्यटन को बढ़ावा देना जिससे स्थानीय कला-संस्कृति एवं उत्पादों को बढ़ावा मिल सके तथा रोजगार के नये अवसर बनें ।

- आर्थिक विकास एवं मानव भलाई के लिये अधोसंरना का निर्माण ।
- औद्योगीकरण विशेषकर लघु उद्योगों, नवाचार को बढ़ावा देना जिससे रोजगार और स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके ।

- समाज में असमानता कम करने का अवसर सुनिश्चित करना ।
- सबका आर्थिक विकास एवं मानव भलाई के लिये अधोसंरचना का निर्माण ।

- सुरक्षित व सस्ते आवासों एवं बुनियादी सेवाओं तक सभी की पहुंच तथा झुग्गी बस्तियों का विकास
- सभी के लिए सुरक्षित व सस्ती सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता (वृद्धों, दिव्यांगजनों, महिलाओं व बच्चों की ज़रूरतों पर विशेष ध्यान)
- सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहरों/ हेरिटेज की सुरक्षा
- शहरों में आपदा प्रबंधन (विशेषकर बाढ़ व जल-भराव हेतु)
- पर्यावरणीय व अपशिष्ट प्रबंधन
- वृद्धों, दिव्यांगजनों, महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित, समावेशी, सुगम व हरित सार्वजनिक स्थानों की उपलब्धता

- प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन एवं उपयोग
- खाद्य बरबादी व उत्पादन/ सप्लाय चेन/ पोस्ट-हार्वेस्ट के दौरान होने वाले नुकसान को कम करना
- रसायनों का ठोस प्रबंधन जिससे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर उनके हानिकारक प्रभावों को न्यूनतम किया जा सके
- पर्यटन विकास जिससे रोज़गार के अवसर बनें तथा स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को बढावा मिले
- सतत उपभोग एवं उत्पादन प्रणालियों हेतु वैज्ञानिक और प्रौद्द्योगिकीय क्षमता को सुद्धढ़ करना

- जलवायु संबंधी जोखिमों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की क्षमता एवं प्रबंधन को मज़बूत करना
- विभिन स्तरों की कार्ययोजना जैसे ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय आदि में जलवायु परिवर्तन को एकीकृत करना
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन, प्रभाव उपशमन तथा शीघ्र चेतावनी संबंधी शिक्षा, जागरूकता

- नदियों और तालाबों को सभी प्रकार के प्रदूषण से बचाना
- जलीय संसाधनों पर आधारित व्यवसाय जैसे मछलीपालन, सिघाड़े की खेती इत्यादि के प्रबंधन से आर्थिक लाभ एवं आजीविका
- बरसात के पानी का संरक्षण कर कृषि कार्यों में उपयोग तथा गिरते हुये भूजल के स्तर को रोकने में सहायता

- पेड़ों एवं वनों का संरक्षण तथा पेड़ों को लगाने को बढ़ावा
- पेड़ लगाओ वातावरण बचाओ
- पेड़ों की कटाई को रोकने के लिये लोगों को जागरूक करना
- पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा

- सभी तरह की हिंसा एवं संबंधित मृत्यु में कमी लाना
- बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, शोषण, मानव तस्करी और हिंसा को समाप्त करना
- सभी के लिए न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करना
- भ्रष्टाचार एवं रिश्वत को समाप्त करना
- सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेही तथा पारदर्शी संस्थाएं विकसित करना
- सभी स्तरों पर समावेशी एवं सहभागी निर्णय लेना सुनिश्चित करना
- जन्म पंजीयन सुनिश्चित करना
- भेदभावरहित कानूनों और नीतियों को बढ़ावा देना
- समाज से कुसंस्कार/ कुप्रथाएं जैसे टोनही, दहेज आदि को समाप्त करना

सतत विकास के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समस्त स्टेकहोल्डर्स को निम्न महत्वपूर्ण रणनीतियों को मद्देनज़र रखना सहयोगपूर्ण होगा:-

- वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग
- क्षमता वृद्धि
- अभिसरण (कनवर्जेंस)
- डेटा उपलब्धता
- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
- सशक्त संस्थाएं

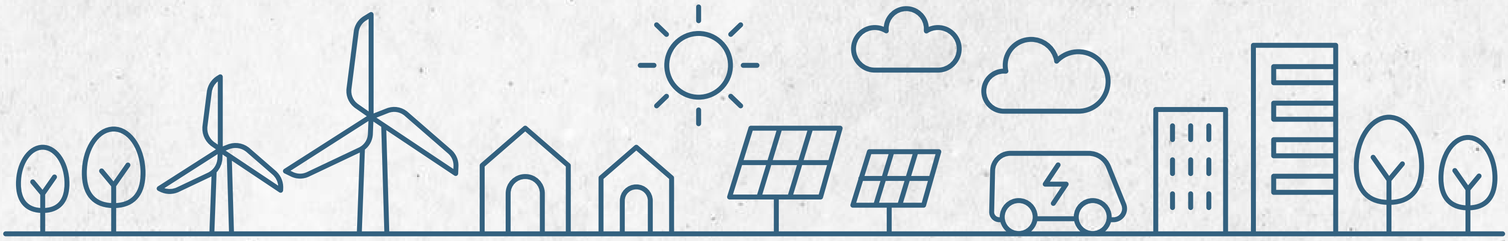

2.3 एसडीजी के लिए संस्थागत तंत्र

सतत् विकास लक्ष्यों के परिवर्तनकारी और वैश्विक दृष्टिकोण को अपनाते हुए, संयुक्त राष्ट्र के एक प्रतिबद्ध सदस्य के रूप में, भारत ने एसडीजी को अपनी राष्ट्रीय नीतियों और रणनीतिक कार्यों में शामिल किया है। एसडीजी के सिद्धांतों और अपनी विकास योजनाओं के बीच तालमेल को पहचानते हुए, भारत ने इन लक्ष्यों को क्रियान्वित करने के लिए एक व्यापक, बहु-क्षेत्रीय (मल्टी-सेक्टोरल) दृष्टिकोण अपनाया है, तथा उन्हें नीतियों और कार्यक्रमों में एकीकृत किया है। एसडीजी को राष्ट्रीय विकास एजेंडे में मुख्यधारा में शामिल करना एसडीजी की भावना को दर्शाते हुए सतत्, समावेशी विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग को सतत् विकास लक्ष्यों से संबंधित गतिविधियों के समन्वय का काम सौंपा गया है। यह साझेदारियों को प्रोत्साहित करने, नीति समर्थन, और एसडीजी की दिशा में प्रगति की निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी उल्लेखनीय पहलों में से एक एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी करना शामिल है। यह 17 एसडीजी के संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक करता है। यह सूचकांक राज्यों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण संकेतकों का उपयोग करता है तथा इस प्रकार से एसडीजी निगरानी तंत्र की मजबूती सुनिश्चित करता है।

नीति आयोग के काम के साथ-साथ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने एसडीजी के लिए राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) बनाया है जो लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एनआईएफ, मात्रात्मक उपायों के एक सेट के रूप में, राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी की प्रगति की निगरानी करता है। इसमें सभी एसडीजी और उनके संबंधित लक्ष्यों के लिए राष्ट्रीय संकेतक शामिल हैं, जो उनके बहुआयामी पहलुओं को पकड़ते हैं और प्रगति के स्पष्ट, मात्रात्मक उपाय प्रदान करते हैं। यह मजबूत तंत्र सुनिश्चित करता है कि एसडीजी की दिशा में प्रगति को व्यापक और व्यवस्थित तरीके से ट्रैक किया जाए, जो जवाबदेही और पारदर्शिता में योगदान दे।

एसडीजी को साकार करने का काम केवल राष्ट्रीय स्तर तक ही सीमित नहीं है। राज्य सरकारों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एसडीजी से मेल खाने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती हैं। इस संबंध में, हरियाणा ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) भारत के साथ साझेदारी में सतत् विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र (एसडीजीसीसी) की स्थापना करके एसडीजी को स्थानीय बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर फिस्कल मैनेजमेंट (एसजेएचआईएफएम) के तहत एसडीजीसीसी की स्थापना एसडीजी विजन 2030 में निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हरियाणा को आवश्यक तकनीकी ज्ञान, संसाधनों, प्रणालियों और क्षमता से लैस करने के विशिष्ट उद्देश्य से की गई है। इसकी भूमिका एसडीजी के साथ सरकार के भीतर और बाहर काम को संरेखित करने से लेकर तकनीकी जानकारी, टूल्स, सिस्टम और संसाधन प्रदान करने तक है, जिससे राज्य स्तर पर एसडीजी का संचालन किया जा सके।

इस बहुस्तरीय और सहयोगात्मक संस्थागत ढांचे के माध्यम से, भारत अपने राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय स्तर तक, सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक स्पष्ट, एकीकृत दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। यह प्रणाली सतत् विकास के तीन आयामों - सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय - को संतुलित करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

विभिन्न स्तरों पर एसडीजी के लिए संस्थागत तंत्र

राष्ट्रीय स्तर

नीति आयोग
(एसडीजी समन्वय एवं मॉनिटरिंग हेतु नोडल एजेंसी)

- एसडीजी इंडिया इंडेक्स
- एसडीजी डेशबोर्ड

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)

- राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ)

राज्य स्तर (हरियाणा)

एसजेएचआईएफएम

↓

एसडीजीसीसी

- एसडीजी डेशबोर्ड, राज्य संकेतक फ्रेमवर्क (एसआईएफ)
- एसडीजी जिला इंडेक्स, जिला संकेतक फ्रेमवर्क (डीआईएफ), जिला प्रोफाइल
- आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क, एसडीजी बजट मैपिंग
- एसडीजी सर्वोत्तम प्रथाओं पर केस स्टडीज एवं वृत्तचित्र

3. एसडीजी स्थानीयकरण: आवश्यकता और रणनीति

सतत् विकास लक्ष्यों को पूरी दुनिया में लागू करने के लिए उन्हें स्थानीय स्तर पर समायोजन करना महत्वपूर्ण होता है। इस अध्याय में, हम एसडीजी के स्थानीयकरण पर चर्चा करेंगे - एक अत्यंत महत्वपूर्ण क़दम जो विकास के हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारी नीतियां और कार्यक्रम स्थानीय वास्तविकताओं के अनुरूप हों, ताकि हम सबके लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकें।

3.1 एसडीजी स्थानीयकरण का महत्व

सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण समृद्ध एवं विकसित समाज की ओर जाने का महत्वपूर्ण साधन है। इसकी महत्वपूर्णता का अहसास सभी स्तरों पर होना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रीय, राज्य, जिला या ग्राम का स्तर हो। स्थानीय स्तर पर रणनीतियों की तैयारी, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के माध्यम से एसडीजी का स्थानीयकरण उन विशिष्ट समस्याओं और चुनौतियों का समाधान निकाल सकता है जो स्थानीय समाज को प्रभावित कर रहे हों।

एसडीजी का स्थानीयकरण न केवल सरकारी नीतियों और योजनाओं को अधिक प्रभावकारी बनाता है, बल्कि यह स्थानीय समुदायों को उनकी आवश्यकताओं और उम्मीदों के अनुसार सेवाएं पहुंचाने की दिशा में भी काम करता है। स्थानीय सरकारें (पंचायतें व शहरी निकाय) वहां के लोगों और समुदायों की वास्तविक आवश्यकताओं को समझते हैं, जिससे वे अधिक कुशल तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

उन स्थानों पर जहाँ स्थानीयकरण की प्रक्रिया में समुदाय समर्पित होते हैं, वहाँ विकास की यात्रा अधिक समर्पित होती है, क्योंकि समुदाय का हर सदस्य अपनी जरूरतों और उम्मीदों के अनुसार कार्य में शामिल होता है। स्थानीय निवासियों का उनकी जीवन शैली, सांस्कृतिक मूल्य और समाजिक धरा से जुड़ाव उन्हें विकास की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने की ओर प्रोत्साहित करता है। समुदायों की सहभागिता उन्हें स्वामित्व का अहसास कराता है, और इससे समर्पण और समर्थन बढ़ जाता है।

एसडीजी का स्थानीयकरण वास्तविक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए एक उपयोगी तरीका है। यह स्थानीय विकास के लिए अधिक व्यावसायिक और समर्थ दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे वास्तविक जरूरतों और संभावनाओं के अनुसार विकास को ढाला जा सकता है। इस तरीके से, स्थानीयकरण सबसे अधिक प्रभावित लोगों तक सीधी पहुंच बनाने में मदद करता है, और उन्हें विकास की ओर अग्रसर करने का मौका देता है, जिससे 2030 एजेंडा की यात्रा में सभी को शामिल किया जा सकता है।

3.2 विकासात्मक योजना में एसडीजी को एकीकृत करना

सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को स्थानीय विकास योजनाओं में एकीकरण करना स्थानीयकरण का महत्वपूर्ण अंग होता है। इससे विकास की निर्देशित प्राथमिकताएं, योजनाएं, और संसाधनों का कुशल प्रयोग होता है, जिससे वैश्विक लक्ष्यों को स्थानीय कार्यों में रूप दिया जा सकता है।

स्थानीय स्तर पर एसडीजी एकीकरण हेतु मुख्य उपाय:

- ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ एसडीजी का एकीकरण: स्थानीय नियोजन और विकास के लिए एसडीजी को जीपीडीपी के साथ एकीकरण करना महत्वपूर्ण हो सकता है।
- ग्राम सभा की प्रभावशीलता बढ़ाना: स्थानीय स्तर पर समाज में सभी वर्गों और लिंग की समरसता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभाओं को मजबूती देना जरूरी है।
- संस्थागत विकास: स्थानीय निर्णय लेने वाली संस्थाएं व ग्राम पंचायत स्तरीय समितियों को मजबूती देने के लिए व्यापक रणनीतियां बनाना।

स्थानीय स्तर पर एसडीजी एकीकरण के लाभ:

- समावेशी विकास: समावेशी स्थानीय विकास नियोजन प्रक्रियायें जो किसी को भी पीछे नहीं छोड़ती हो, और समावेशिता के एसडीजी सिद्धांत को साकार करती हो।
- समुदाय की जागरूकता: एसडीजी को स्थानीय नियोजन में एकीकरण करने से समुदाय की जागरूकता बढ़ती है, और वे नीतियों और योजनाओं का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं।
- स्थायी भविष्य की ओर कदम: स्थानीय स्तर पर एसडीजी का एकीकरण स्थायी और समृद्ध भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

इन उपायों के माध्यम से, स्थानीय स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों को प्राथमिकता देना और उन्हें स्थानीय नीतियों और योजनाओं में शामिल करना संभावित होता है। इससे स्थानीय समुदायों की विकास नीतियों में एक अनुकूल परिवर्तन लाना संभावित है, जो समृद्धि की ओर एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

4. हरियाणा में एसडीजी कार्यान्वयन

इस अध्याय में हम हरियाणा के द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों के प्रति किए गए प्रयासों और उपलब्धियों की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे, जिसमें राज्य ने एसडीजी के माध्यम से समावेशी और सतत् विकास के अपने संकल्प को साकार करने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है। हम यह भी देखेंगे कि हरियाणा ने कैसे सतत् विकास लक्ष्यों को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में एकीकृत किया है।

4.1 एसडीजी पर हरियाणा की प्रगति

सतत् विकास लक्ष्यों को अपनाने में भारत में अग्रणी राज्य, हरियाणा ने 2017 में अपने महत्वाकांक्षी विजन 2030 को लॉन्च करके अग्रणी भूमिका निभाई। पिछले छह वर्षों में, हरियाणा ने इन लक्ष्यों की दिशा में सराहनीय प्रगति की है, जो राज्य के सभी विभागों के अथक प्रयासों का प्रमाण है। इस प्रगति को नीति आयोग ने अपनी एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट में दर्शाया है। नवीनतम एसडीजी रिपोर्ट (2020-21) के अनुसार, राज्य ने कई संकेतकों में अपने एसडीजी प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार किया है।

एसडीजी के संदर्भ में हरियाणा को 'सर्वाधिक बेहतर राज्य' का दर्जा दिया गया, क्योंकि राज्य का एसडीजी स्कोर 57 से बढ़कर 67 हो गया, और राष्ट्रीय रैंकिंग में हरियाणा चार स्थान आगे बढ़कर 18वें से 14वें स्थान पर पहुंच गया। एसडीजी 5 (लैंगिक समानता) और एसडीजी 11 (स्थायी शहर एवं समुदाय) को उच्च प्राथमिकता दी गई है, जो समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राज्य ने अन्य फोकस क्षेत्रों की भी पहचान की है, जैसे कुपोषण और एनीमिया को संबोधित करने के लिए एसडीजी 2, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से सीखने के स्तर में सुधार के लिए एसडीजी 4, रोजगार एवं आर्थिक विकास के लिए एसडीजी 8, और जलवायु कार्रवाई के लिए एसडीजी 13 ।

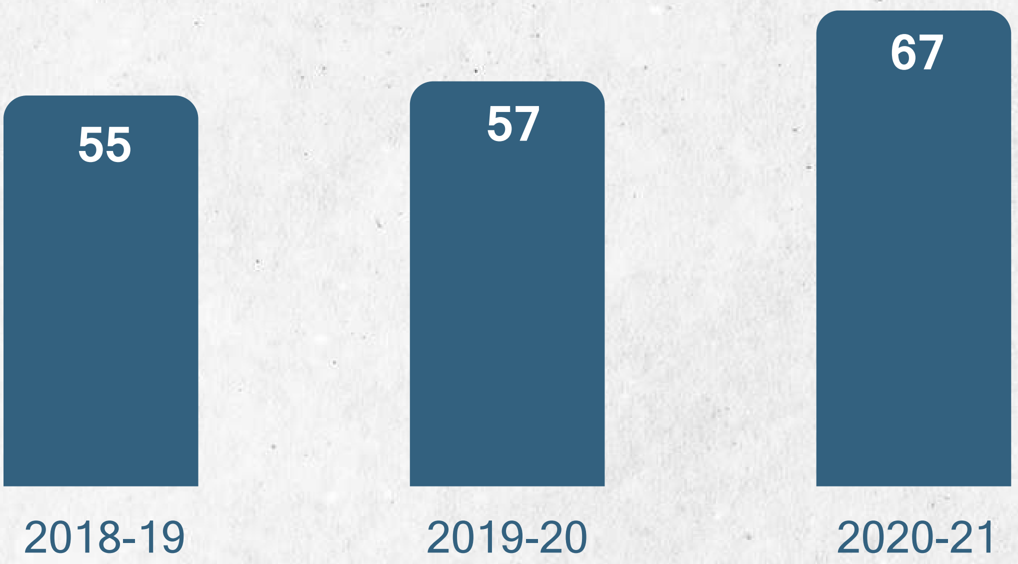

एसडीजी इंडिया इंडेक्स कम्पोज़िट स्कोर (हरियाणा)

राज्य में एसडीजी प्रगति की मध्यावधि समीक्षा में कई उल्लेखनीय सफलताएँ सामने आईं:

- हरियाणा ने वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभार्थियों का 100% कवरेज हासिल किया। यह राज्य की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

- हरियाणा में प्रत्येक 100 में से केवल 7 व्यक्ति बहुआयामी गरीबी में रहते हैं। यह सकारात्मक बदलाव काफी हद तक 'परिवार पहचान पत्र' (पीपीपी) और 'मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना' (एमएमपीएसवाई) जैसी राज्य योजनाओं के प्रभाव को दर्शाता है।

- राज्य में बच्चों के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है। 9 से 11 महीने की उम्र के बीच पूर्ण टीकाकरण वाले बच्चों की संख्या 90% हो गई है। अस्पतालों या स्वास्थ्य केंद्रों में जन्म लेने वाले शिशुओं की दर, जिसे संस्थागत प्रसव के रूप में जाना जाता है, 2015-16 में 80.4% से बढ़कर 2020-21 में 94.9% हो गई।

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत वर्ष 2021-22 में सामाजिक सुरक्षा का लाभ 80.3% लोगों तक पहुंचा।

- हरियाणा भारत का पहला राज्य है जिसने A2 दूध उपलब्ध कराया, जो राज्य की देशी गायों से प्राप्त होता है।

- नीति आयोग द्वारा बनाए गए स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (एसईक्यूआई) में हरियाणा को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, जो राज्य में शिक्षा की उत्कृष्ट गुणवत्ता को दर्शाता है।

इन सफलताओं के बावजूद, राज्य में कुछ चुनौतियों हैं जिनके लिए विशेष समाधान की आवश्यकता है:

- एनीमिया: हरियाणा में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया के मामलों की उच्च संख्या बेहतर समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योजनाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

- मातृ स्वास्थ्य: राज्य में मातृ मृत्यु दर 110 है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जो बेहतर मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता को दर्शाता है।

- सतत् खेती और भूजल प्रबंधन: राज्य को बहुत अधिक पानी का उपयोग करने वाली खेती के कारण भूजल स्तर में कमी का मुकाबला करने की आवश्यकता है। राज्य ऐसी खेती प्रचार-प्रसार करके ऐसा कर सकता है जो जलवायु और विविध फसलों के उपयुक्त हो।

- नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन: जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए, राज्य को सभी क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा की ओर अपने कदम तेज़ करने चाहिए।

- साइबर अपराध: प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि के साथ, साइबर अपराध में वृद्धि हुई है। इसके लिए कड़ी साइबर सुरक्षा, बेहतर डिजिटल जानकारी और मजबूत कानून प्रवर्तन क्षमताओं की आवश्यकता है।

अत:, जबकि हरियाणा ने एसडीजी की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनमें सतत् विकास में प्रगति हेतु ध्यान देने की आवश्यकता है।

4.2 हरियाणा में एसडीजी-वार पहल

एसडीजी 1 - गरीबी खत्म करना

	'परिवार पहचान पत्र' (पीपीपी) और 'मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना' (एमएमपीएसवाई) - नागरिकों को 'पेपरलेस', 'फेसलेस' सेवा वितरण को लक्षित करके राज्य के नागरिकों के 'जीवनयापन में आसानी' में सुधार लाने के लिए परिवार आईडी पहल। एमएमपीएसवाई हरियाणा के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा के साथ-साथ राज्य के किसानों और असंगठित श्रमिकों के लिए सुनिश्चित पेंशन और पारिवारिक भविष्य निधि सुनिश्चित करके सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक कदम है।
	बीपीएल परिवारों को मुफ्त चिकित्सा उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 'चिरायु योजना' शुरू की गई। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से कम थी, उन्हें आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किया गया था। अब चिरायु योजना के तहत 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को भी 5 लाख रुपये तक के ईलाज का लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत-चिरायु हरियाणा योजना पोर्टल को भी लॉन्च कर दिया गया है।
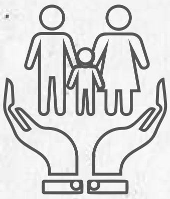	सरकार ने मौजूदा बीमा योजनाओं को समेकित करने, मानकीकृत और सरलीकृत दावा प्रसंस्करण सुनिश्चित करने और लोगों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने के लिए हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना की है।
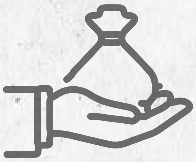	'दयालु' योजना शुरू की गई जिसका उद्देश्य परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु (प्राकृतिक या आकस्मिक) या स्थायी विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिसकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, जैसा कि पारिवारिक सूचना डेटा रिपोजिटरी (एफआईडीआर) डेटाबेस में सत्यापित है। हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास दयालु योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी।
	अंत्योदय परिवारों के उत्थान के लिए गरीब परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' चलाई जा रही है।

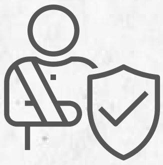	'मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना' - फायरमैन, लाइनमैन और सीवरमैन, सफाई कर्मचारी आदि जैसी उच्च जोखिम वाली नौकरियों में काम करने वाले राज्य के 'सी' और 'डी' श्रेणी के कर्मचारियों के लिए एक दुर्घटना बीमा पॉलिसी।
	'मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना' - आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में छोटे व्यापारियों के लिए।
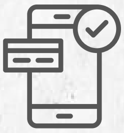	ई-खरीद - खाद्य खरीद प्रक्रिया में सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने और किसान की उपज खरीद जीवनचक्र में विभिन्न प्रक्रियाओं और चरणों को सुव्यवस्थित करने की एक पहल।
	हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग (एचएएलएसएम) परियोजना का स्वामित्व भाग 25.44 लाख संपत्तियों की मैपिंग के साथ संपन्न हो गया है।
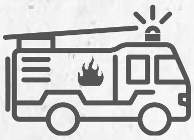	सरकार ने अग्नि सुरक्षा निदेशालय को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में स्थानांतरित कर दिया है क्योंकि अग्नि सुरक्षा केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है।

एसडीजी 2 - भुखमरी की समाप्ति

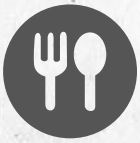	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (अंत्योदय आहार योजना, पोषण अभियान, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना), 'वन नेशन वन राशन कार्ड' का प्रभावी कार्यान्वयन; फसल विविधीकरण, फसल अवशेषों के प्रबंधन, मत्स्य पालन और डेयरी विकास, खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग प्रौद्योगिकी के लिए पहल की जा रही है।
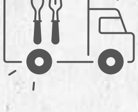	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थी परिवारों की संख्या दिसंबर 2022 से पहले 26 लाख परिवारों से बढ़कर 31.59 लाख से अधिक हो गई है। 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए नए पीले कार्ड की तैयारी को परिवार पहचान पत्र से जोड़कर स्वचालित बना दिया गया है।
	भारत का पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र 'नंदघर' हसनपुर, सोनीपत में शुरू हुआ।

	कृषि पहल- मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ई-खरीद, CADA को MICADA के रूप में पुनर्गठित किया गया।
	अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार गन्नौर, जिला सोनीपत में स्थापित किया जा रहा है - जो राष्ट्रीय स्तर की कृषि उपज के विपणन के लिए एक पहल है।
	बाजरे की खेती की उत्पादकता में सुधार के लिए, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भिवानी जिले के गोकलपुरा में पोषक-अनाज अनुसंधान स्टेशन स्थापित किया जा रहा है।
	7 जिलों में 4341 ई-वेइंग मशीनों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण शुरू किया गया है।
	सरकार ने ग्रीन राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। आवेदक अब ऑनलाइन जा सकते हैं और विभागीय वेबसाइट या अंत्योदय सरल प्लेटफॉर्म पर पीपीपी नंबर का उपयोग करके अपना हरा राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
	हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पर वीटा बूथों पर देशी गायों का ए2 दूध बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है।

एसडीजी 3 - सभी के लिए स्वस्थ जीवन

	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन, मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का विस्तार, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, टीकाकरण कार्यक्रम, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान और आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज।
	सरकारी अस्पतालों में 500 तरह की दवाएँ, 319 तरह की सर्जरी, टेस्ट और डेंटल प्रोसीजर मुफ्त।
	भादसा, झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना।

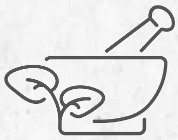	कुरूक्षेत्र में 'श्रीकृष्ण आयुष विश्वविद्यालय' (भारत का पहला आयुष विश्वविद्यालय) की स्थापना; गांव पट्टीकरा, महेंद्रगढ़ में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना; पंचकुला जिले में राष्ट्रीय आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की नींव रखी गई।
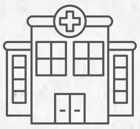	राज्य का पहला सरकारी यूनानी कॉलेज एवं अस्पताल नूंह के गांव अकेरा में स्थापित किया जा रहा है।
	स्नातकोत्तर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान गांव देवरखाना, महेंद्रगढ़ में स्थापित किया जा रहा है।
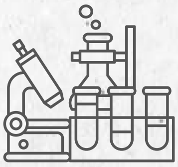	लोगों को भोजन और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने में सक्षम बनाने के लिए, राज्य के 22 जिलों में से प्रत्येक में बुनियादी खाद्य प्रयोगशालाओं की स्थापना चल रही है। ये प्रयोगशालाएं मामूली शुल्क पर खाद्य नमूनों की तत्काल परीक्षण रिपोर्ट प्रदान करेंगी।
	गांवों में 700 पार्क एवं व्यायामशालाएं स्थापित की गई हैं। इन व्यायामशालाओं में योग सहायकों की भी नियुक्ति की गई है।
	खेलो इंडिया यूथ गेम्स (मध्य प्रदेश में सम्पन्न) में हरियाणा कुल 128 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जिनमें से 41 स्वर्ण पदक हैं।
	उभरते युवा खिलाड़ियों के लिए राज्य में 1100 खेल नर्सरियाँ की स्थापना।

एसडीजी 4 - गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

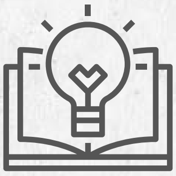	नई शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन, समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत हस्तक्षेप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रयास; शिक्षा के बुनियादी ढांचे के विस्तार, योग्य शिक्षक प्रदान करने, मासिक वजीफा, पुरस्कार और छात्रवृत्ति के माध्यम से एससी/बीसी छात्रों को बढ़ावा देने के माध्यम से राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा।
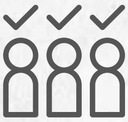	पीपीपी में 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे की मैपिंग की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा शैक्षिक अवसरों से वंचित न रहे।

	राज्य ने एक ही परिसर में केजी से पीजी तक शिक्षा प्रदान करने की अवधारणा पर काम करना शुरू कर दिया है।
	4000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्लेवे स्कूलों में परिवर्तित किया गया। ये प्ले स्कूल अब 5-6 वर्ष की आयु के बच्चों को सफलतापूर्वक बाल देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।
	सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 10 वीं से 12 वीं तक के सभी छात्रों के लिए कनेक्टिविटी के साथ टैबलेट।
	अंतिम वर्ष के सभी छात्रों को निःशुल्क पासपोर्ट उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करने की पहल।
	तकनीकी शिक्षा का विस्तार - राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान (उत्तर भारत का पहला डिज़ाइन संस्थान) की स्थापना; कुरूक्षेत्र जिले में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जा रहा; राष्ट्रीय प्लास्टिक उपग्रह केंद्र करनाल में स्थापित किया जा रहा; राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना पंचकुला में की जा रही है।
	राज्य इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान नीलोखेड़ी (करनाल), सिलानी केशो (झज्जर) और जैनाबाद (रेवाड़ी) में शुरू हुआ।
	स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से, 2022-23 के दौरान, 894 सरकारी स्कूलों में 70,427 डुअल डेस्क प्रदान किए गए हैं।

एसडीजी 5 - लैंगिक समानता

	लिंग संवेदीकरण, महिला सहकारी समितियों को सहायता, निराश्रित महिलाओं और विधवाओं को वित्तीय सहायता, छात्राओं और महिलाओं के लिए सुरक्षा, और सुरक्षा हस्तक्षेप जैसे महिला हेल्पलाइन, छात्राओं के लिए सुरक्षित परिवहन सेवाएं, किशोर और बालिका विकास, और महिला विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का विस्तार।
	करनाल, रेवाडी, फ़रीदाबाद, गुरूग्राम, भिवानी, हिसार और नारनौल जिलों में वन स्टॉप सखी केंद्र स्थापित किये गये।

	महिला सुरक्षा के लिए दुर्गा शक्ति ऐप, दुर्गा शक्ति वाहिनी, दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स।
	दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 6,200 नए एसएचजी स्थापित किए गए हैं।
	राज्य में पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी को 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

एसडीजी 6 - स्वच्छ जल एवं स्वच्छता

	ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति, स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता हस्तक्षेप, नहरों का निर्माण और रखरखाव, जल पाठ्यक्रमों का पुनर्वास, जल निकायों और जलाशयों की बहाली, सरस्वती नदी विरासत विकास और एकीकृत बंजर भूमि प्रबंधन कार्यक्रम।
	हरियाणा ने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 2024 के लक्ष्य के मुकाबले 2022 में जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण घरों में नल का पानी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया है।
	पेयजल आपूर्ति में वृद्धि, सीवरेज प्रणाली बिछाने और सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना के लिए 'महाग्राम योजना'।
	सरकार ने बिजली संयंत्रों, उद्योगों, सिंचाई और नगर पालिकाओं द्वारा उपचारित अपशिष्ट जल को गैर-पीने योग्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की नीति बनाई है। हरियाणा में 170 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं, जो 1985 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) अपशिष्ट जल उत्पन्न करते हैं। 187 एमएलडी उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग गैर-पीने योग्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

एसडीजी 7 - सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा

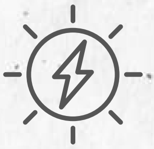	राज्य में सौर जल पंपिंग प्रणाली की स्थापना, सहकारी चीनी मिलों में बिजली सह-उत्पादन और इथेनॉल संयंत्र की स्थापना, डीएचबीवीएनएल, यूएचबीवीएनएल, एचवीपीएनएल और एचपीजीसीएल को इक्विटी पूंजी; और ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप एसपीवी पावर प्लांट कार्यक्रम।
	'म्हारा गांव जगमग गांव योजना' के तहत 5681 गांवों को 24X7 बिजली आपूर्ति।
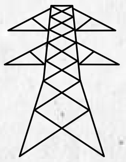	बिजली वितरण कंपनियों का वार्षिक तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) घाटा 2015-16 में 30.15 प्रतिशत से कम हो गया है और 2022-23 में 11.85 प्रतिशत तक कम होने हेतु प्रयास।
	बिजली बिलों के ऑनलाइन भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट शुल्क वहन करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल के कारण वितरण कंपनियों का 80 प्रतिशत से अधिक राजस्व डिजिटल माध्यम से एकत्र किया जा रहा है।
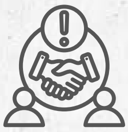	बिजली आपूर्ति से संबंधित उपभोक्ताओं की समस्याओं के मौके पर ही समाधान के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा नियमित रूप से 'बिजली पंचायत' का आयोजन किया जा रहा है।

एसडीजी 8 - रोजगार एवं आर्थिक विकास

	हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 का प्रभावी कार्यान्वयन, एमएसएमई समूहों का विकास, अनुसूचित जातियों के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम, औद्योगिक मूल्य वृद्धि के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण, सक्षम युवा योजना, पर्यटक सुविधाओं का विकास, औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास और विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को मजबूत करना।
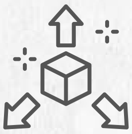	सरकार ने व्यवसाय करने में आसानी के लिए तीन-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है - "डिज़ाइन और विकास", "कार्यान्वयन और उपयोग" और "सुधार"।

	केंद्र सरकार द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स ईज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) रैंकिंग में 37 भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच हरियाणा ने राज्य व्यवसाय सुधार कार्य योजना 2020 के मूल्यांकन में "टॉप अचीवर" का दर्जा हासिल किया। आज हरियाणा से लगभग 2.17 लाख करोड़ रुपये का निर्यात होता है।
	एमएसएमई, हरियाणा का अलग निदेशालय गठित।
	एमएसएमई नीति-2019, कृषि-व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2018, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति, डेटा सेंटर नीति, और एयरोस्पेस और रक्षा नीति।
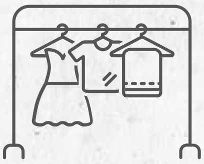	सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री के 5F दृष्टिकोण, यानी फार्म से फाइबर से फैक्ट्री से फैशन से विदेश तक, के अनुरूप, हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति की घोषणा की है। इस नीति का लक्ष्य मूल्य संवर्धन, रोजगार सृजन और उत्पादकता वृद्धि पर जोर देकर कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देना है ताकि 4,000 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया जा सके और कपड़ा मूल्य श्रृंखला में 20,000 नई नौकरियां पैदा की जा सकें।
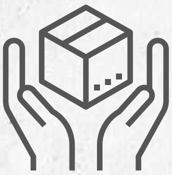	हरियाणा सरकार ने एमएसएमई एडवांसमेंट (पीएडीएमए) के लिए विकास में तेजी लाने के कार्यक्रम के माध्यम से वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य क्लस्टर दृष्टिकोण का लाभ उठाकर ब्लॉक स्तर पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सक्षम करने और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन और विकासात्मक हस्तक्षेप लागू करना है।
	फ्रेंचाइज़िंग के माध्यम से हरियाणा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रिटेल आउटलेट्स (हरहित स्टोर्स) की स्थापना और हरियाणा के निवासियों को फ्रेंचाइजी बनने में सक्षम बनाना।
	कौशल विकास, प्लेसमेंट सहायता, उद्योगों के लिए आवश्यक नए कौशल सेटों के डिजाइन और परिचय, सीएसआर फंड, औद्योगिक भ्रमण और नौकरी प्रशिक्षण करने के अवसर के लिए 'पहल योजना'।
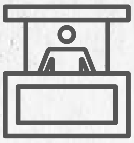	मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत सार्वजनिक स्थानों पर वीटा बूथ खोलने पर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को विशेष छूट दी जाएगी।
	20 लाख रुपये से कम सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों को राज्य सरकार के पैनल में शामिल चार्टर्ड अकाउंटेंट से सीए सर्टिफिकेट मुफ्त मिलेगा।

एसडीजी 9 - अधोसंरचना, नवाचार एवं औद्योगीकरण

	सिग्नेचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स - ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, दिल्ली और करनाल के बीच हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी, गुरुग्राम और अन्य क्षेत्रों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (इनविट्स) और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (आरईआईटी) के माध्यम से परिसंपत्ति मुद्रीकरण, मानेसर के पास ग्लोबल सिटी, गन्नौर, सोनीपत में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार; हिसार में घरेलू हवाई अड्डा/एकीकृत विमानन केंद्र।
	नारनौल में इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब, सड़कों का निर्माण/ मजबूतीकरण/ चौड़ाई/ बाईपास, पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण, औद्योगिक बुनियादी ढांचे में सुधार, अंबाला सर्कल में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन और हरियाणा रोडवेज डिपो के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
	पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जनन के लिए राज्य लघु पुनर्निर्मित योजना निधि योजना (एसएफयूआरटीआई) जिसमें पारंपरिक कारीगर और सेवा क्षेत्र शामिल हैं- सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदाय का समर्थन करने के लिए।
	हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना- ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए।
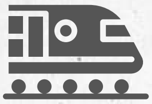	रोहतक एलिवेटेड रेलवे लाइन परियोजना - देश में अपनी तरह की पहली परियोजना।
	महाराजा अग्रसैन हवाई अड्डा, हिसार के निर्माण का कार्य प्रगति पर।

एसडीजी 10 - असमानताओं में कमी

	निराश्रित महिलाओं, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों, निराश्रित बच्चों को सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता; दीनबंधु हरियाणा ग्रामीण उदय योजना, हरियाणा ग्रामीण विकास योजना, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, लाडली-सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यकों का विकास, एससी/बीसी छात्रों को छात्रवृत्ति और मासिक वजीफा।

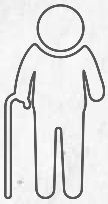	वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्रारंभ करने हेतु पात्रता के सक्रिय निर्धारण करने के लिए सरकार ने एक अनूठी पहल की है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पीपीपी डेटा के आधार पर लाभार्थी की स्वचालित रूप से पहचान की जाती है और इच्छित लाभार्थी द्वारा प्रदान की गई सहमति के आधार पर लाभ प्रदान किया जाता है।
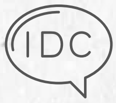	अंतर-जिला परिषद जिला विशिष्ट कार्य योजनाओं की तैयारी, विकास आवश्यकताओं का आकलन, पीआरआई और यूएलबी को शक्तियों का प्रतिनिधिमंडल और प्रमुख कार्यक्रमों की समीक्षा की सुविधा प्रदान करेगी।
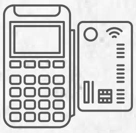	प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर स्थापित ई-पीओएस उपकरणों के माध्यम से पात्र परिवारों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण।
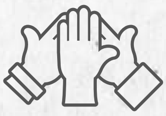	परिवार पहचान पत्र में डेटा का उपयोग करके पंचायती राज संस्थानों में पिछड़े वर्ग (ए) को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया।

एसडीजी 11 - स्थायी शहर एवं समुदाय

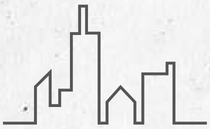	मेरा शहर सर्वोत्तम शहर, मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, जगमग शहर, नए शहरी नवीकरण मिशन, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन और स्मार्ट सिटी कार्यक्रम जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के तहत हस्तक्षेप के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शहरी सेवाएं, किफायती आवास और सुरक्षित और स्मार्ट शहर।
	हमारे शहरी क्षेत्रों के सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पहलुओं के विकास के लिए 'दिव्य नगर योजना'।
	'नगर दर्शन पोर्टल' का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए सभी सरकारी सेवाओं को सुलभ बनाना है जो शहरी केंद्रित सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करेगा।
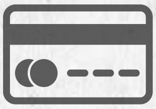	नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) का उपयोग करके ई-टिकटिंग शुरू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य।
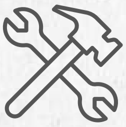	सरकार ने हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के माध्यम से स्थानीय स्तर पर विकास कार्य करने के लिए नगर पालिकाओं की वित्तीय शक्तियां बढ़ाई।
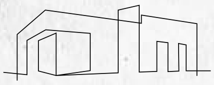	शहरी क्षेत्रों में अनाधिकृत कालोनियों का व्यवस्थित ढंग से नियमितीकरण।

एसडीजी 12 - उपभोग एवं उत्पादन में समझदारी

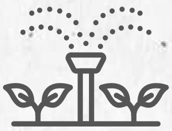	फसल विविधीकरण (मेरा पानी मेरी विरासत), हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण, सूक्ष्म सिंचाई एवं कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण (मिकाडा), हरियाणा में गोदामों का निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग प्रौद्योगिकी, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, और उपचारित अपशिष्ट-जल नीति का पुन: उपयोग का प्रभावी कार्यान्वयन।
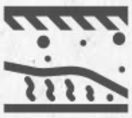	हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण (एचडब्ल्यूआरए) ने भूजल उपलब्धता की ग्रामवार रिपोर्ट तैयार की है।
	1 लाख एकड़ कृषि योग्य कमांड क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया है और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 2000 ऑन-फार्म जल टैंकों का निर्माण किया गया है।
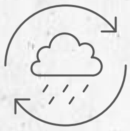	1000 रिचार्ज बोरवेल और छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है।
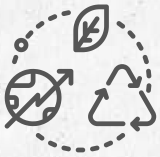	राज्य ने सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए पांच साल की वाहन स्क्रैपेज नीति का मसौदा तैयार किया है। इस नीति के तहत, डीजल वाहनों के मामले में 10 वर्ष और पेट्रोल वाहनों के मामले में 15 वर्ष की महत्वपूर्ण आयु पूरी कर चुके वाहनों को स्क्रैप कर दिया जाएगा।

एसडीजी 13 - जलवायु परिवर्तन

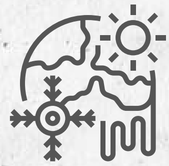	बाढ़ सुरक्षा और आपदा तैयारी, आपदा प्रतिक्रिया में सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण (आपदा मित्र), एकीकृत वन संरक्षण, फसल अवशेषों का प्रबंधन, सिंचाई दक्षता के लिए सूक्ष्म सिंचाई, जलवायु परिवर्तन प्रभाग को मजबूत करना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संदाई फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन; और जलवायु एवं सतत् विकास कोष।
	2070 तक देश की कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण और जलवायु पहल 'पंचामृत' और 'मिशन LiFE' से संबंधित प्रतिबद्धताओं में योगदान करने के लिए वृक्ष-आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने और कार्बन क्रेडिट की बिक्री के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी।

एसडीजी 15 - भूमि पर जीवन

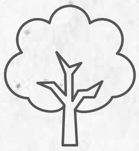	कृषि-वानिकी, बंजर भूमि में वनीकरण, वन्य जीवन आवासों का एकीकृत विकास, अरावली पहाड़ियों में संस्थानों का पुनरुद्धार, शहरी क्षेत्रों में हरित बेल्ट, हरियाणा में आर्द्रभूमि का संरक्षण और प्रबंधन।
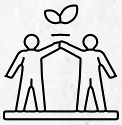	राज्य में पारंपरिक वनों के बाहर तेजी से वृक्ष कवरेज का विस्तार करने के लिए किसानों, कंपनियों और अन्य निजी संस्थानों को एक साथ लाने के लिए साझेदारी बनाई गई।
	मोरनी में अंतरराष्ट्रीय स्तर का हर्बल वन स्थापित किया जा रहा है।
	हरियाणा में 62 हर्बल नेचर पार्क स्थापित।

एसडीजी 16 - शांति, न्याय एवं सशक्त संस्थाएँ

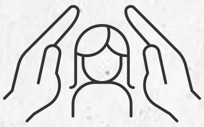	न्याय प्रशासन, अत्याचार के पीड़ितों को आर्थिक राहत, जेजे अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन, अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस), हरियाणा राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली, पुलिस स्टेशनों को मजबूत करना, विशेष महिला पुलिस स्वयंसेवक, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा और जेलों का आधुनिकीकरण।
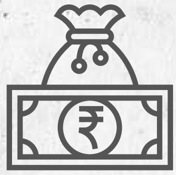	बजटीय प्रक्रियाओं में सुधार - विभिन्न विभागीय आवंटनों को नई तर्कसंगत 20 बजटीय मांगों में विलय करना और अनुदानों की मांगों को आठ विषयगत क्षेत्रों में व्यवस्थित करना; मध्यम अवधि व्यय ढांचा (एमटीईएफ) रिजर्व फंड; अनुसंधान एवं नवप्रवर्तन निधि; वेंचर कैपिटल फंड; प्रदर्शन से जुड़े परिव्यय; एसडीएल को पुनः जारी करना; परिसंपत्ति प्रबंधन कक्ष; हरियाणा सार्वजनिक वित्त जवाबदेही अधिनियम, 2019; हरियाणा राज्य वित्तीय सेवा लिमिटेड।
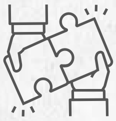	प्रशासनिक प्रशासन और संसाधन उपयोग दक्षता में वृद्धि के लिए 19 विभागों को 8 विभागों में विलय कर दिया गया है।

	अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) के कार्यान्वयन के संबंध में हरियाणा पुलिस को सभी प्रमुख राज्य पुलिस बलों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया।
	जुलाई 2021 में हरियाणा 112 (ईआरएसएस) परियोजना- राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र पर 86 लाख कॉल आईं। दिसंबर 2022 में औसत प्रतिक्रिया समय वर्ष की शुरुआत में 15 मिनट से घटकर 8 मिनट 22 सेकंड हो गया है।
	पीआरआई द्वारा सार्वजनिक धन के अनुमोदन और तैनाती में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के माध्यम से ई-टेंडरिंग शुरू की गई है।
	सरपंचों का मानदेय 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया जाएगा. वहीं पंचों का मानदेय 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,600 रुपये किया जाएगा।
Online	चालक लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और सड़क परमिट से संबंधित 37 सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं।
	'ग्राम दर्शन पोर्टल' जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति संबंधित गांव के विकास से संबंधित सुझाव दे सकता है।
	आपातकालीन सेवाओं सहित सभी सरकारी सेवाओं, योजनाओं और लाभों के लिए एकीकृत-हरियाणा मोबाइल समाधान के रूप में 'जन सहायक ऐप'।
	विवादों का समाधान योजना लंबे समय से चले आ रहे विवादों के निपटारे के लिए है जिसमें सरकार एक पक्ष है।
	हाल के वर्षों में हैफेड (HAFED) ने निर्यात क्षेत्र में प्रवेश करके अपनी गतिविधियों में विविधता ला दी है। हैफेड संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से $105 मिलियन (840 करोड़ रूपये) मूल्य के 85 हजार मीट्रिक टन बासमती के निर्यात ऑर्डर प्राप्त करने में सक्षम हुआ।

5. एसडीजी कार्यान्वयन में जिला-स्तरीय विभागों की भूमिका

इस अध्याय में हम जिला-स्तरीय विभागों की एसडीजी कार्यान्वयन में भूमिका के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, विभागों का एकीकृत और साझा प्रयास ही सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। इस अध्याय में, हम जिला स्तर पर विभिन्न सरकारी विभागों के द्वारा एसडीजी कार्यान्वयन के लिए अपनाए गए विभिन्न दृष्टिकोणों और कार्यक्रमों का विश्लेषण करेंगे।

5.1 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण

सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार के सभी स्तरों के बीच सहयोग और एकीकरण की आवश्यकता है। इस रणनीति को 'संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण' (whole-of -government-approach) के रूप में जाना जाता है, जिसमें सरकार के सभी विभाग एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में सामूहिक रूप से और एकीकृत तरीके से मिलकर काम करते हैं। एकीकृत दृष्टिकोण से, विकास का अहसास तब तक पूरा नहीं होता जब तक हर विभाग अपनी जिम्मेदारी समझ और अन्य विभागों के साथ मिलकर काम नहीं करता।

इस दृष्टिकोण के पीछे तर्क एसडीजी की परस्पर संबद्धता है, जहां एक लक्ष्य में प्रगति अक्सर अन्य लक्ष्यों में प्रगति पर निर्भर करती है। उदाहरण स्वरूप, स्वास्थ्य में प्रगति (एसडीजी 3) को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (एसडीजी 4), स्वच्छ जल और स्वच्छता (एसडीजी 6), और असमानताओं को काम करना (एसडीजी 10) में प्रगति से बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि एकीकृत दृष्टिकोण से ही वास्तविक विकास संभव है।

जिला स्तर पर, 'एकीकृत सरकार' दृष्टिकोण परिणामों को अधिकतम करने के लिए सभी विभागों के बीच सहयोग, समन्वय और संसाधन पूलिंग सुनिश्चित करता है। यह एसडीजी को प्राप्त करने के उद्देश्य से योजना बनाने, बजट बनाने और नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाना, संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना और एसडीजी के तहत निर्धारित टार्गेट्स तक सफलतापूर्वक पहुंचना है। विकास के लिए, सरकार की सभी विभागों की सामंजस्यपूर्ण और एकीकृत शक्ति की आवश्यकता होती है, जो वास्तविक विकास को बढ़ोतरी देने में सहायक होती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो न तो केवल सरकार की विभागों के बीच होती है, बल्कि वह समुदायों, व्यापारिक संगठनों, और अन्य स्थानीय शक्तियों के साथ भी होती है, जो एसडीजी को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में योगदान कर सकते हैं। इस तरह, 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण विकास की ओर एक नया पथ प्रदर्शित करता है।

5.2 विभिन्न विभागों की भूमिका एवं महत्व

जिला स्तर पर विभिन्न विभाग एसडीजी को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रयास में प्रत्येक विभाग के अपने अलग कार्य और जिम्मेदारियाँ हैं, फिर भी एसडीजी की एकीकृत प्रकृति के कारण उनकी भूमिकाएँ एक-दूसरे से मिलती-जुलती हैं। यहां कुछ प्रमुख विभागों की एसडीजी संबंधित संभावित भूमिकाएँ उदाहरण के तौर पर दर्शाई गई हैं:

शिक्षा विभाग: यह विभाग एसडीजी 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सीखने (लर्निंग) के परिणामों को बेहतर बनाने, आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने और शैक्षिक असमानताओं को कम करने के लिए काम करता है। इसके अतिरिक्त, यह महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा के सभी स्तरों तक समान पहुंच को प्रोत्साहित करके एसडीजी 5 (लैंगिक समानता) में योगदान दे सकता है।

स्वास्थ्य विभाग: यह विभाग मुख्य रूप से एसडीजी 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) पर ध्यान केंद्रित करता है, स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देता है और हर उम्र में सभी की बेहतरी सुनिश्चित करता है। यह विभाग अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से एसडीजी 2 (शून्य भूख) और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में जल, स्वच्छता और स्वच्छता कार्यक्रमों के माध्यम से एसडीजी 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता) जैसे अन्य लक्ष्यों में भी योगदान देता है।

कृषि और सिंचाई विभाग: ये विभाग टिकाऊ कृषि की को बढ़ावा देने, पोषण में सुधार और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके एसडीजी 2 (भुखमरी की समाप्ति) हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसकी पहल एसडीजी 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता), एसडीजी 12 (जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन), और एसडीजी 15 (भूमि पर जीवन) को भी प्रभावित करती है।

समाज कल्याण विभाग: यह विभाग सामाजिक सुरक्षा योजनाएं प्रदान करके और कमजोर समूहों के सामाजिक समावेशन और सुरक्षा को बढ़ावा देकर, कई एसडीजी, जैसे एसडीजी 1 (गरीबी नहीं), एसडीजी 5 (लिंग समानता), एसडीजी 8 (सभ्य कार्य और आर्थिक विकास), और एसडीजी 10 (असमानताएं कम करना)) में योगदान देता है।

पर्यावरण विभाग: यह विभाग पर्यावरणीय स्थिरता से संबंधित एसडीजी के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें एसडीजी 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता), एसडीजी 13 (जलवायु परिवर्तन), एसडीजी 14 (जलीय जीवन), और एसडीजी 15 (भूमि पर जीवन) शामिल हैं। यह जल संसाधनों के प्रबंधन और प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ-साथ जैव विविधता की सुरक्षा भी करता है।

अतः, एसडीजी हासिल करने में प्रत्येक विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन भूमिकाओं को पहचानने और विभागीय रणनीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों को लक्ष्यों के साथ संरेखित करने से जिला स्तर पर एसडीजी के प्रभावी कार्यान्वयन में काफी मदद मिल सकती है। अंतर-विभागीय समन्वय और सहयोग, 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण के अनुरूप, प्रयासों और संसाधनों को अनुकूलित कर सकता है, और सतत् विकास की दिशा में प्रगति में तेजी ला सकता है।

6. जिला स्तर पर एसडीजी कार्यान्वयन के लिए टूल्स

जिला स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों की सफल प्राप्ति के लिए योजना बनाने, प्रगति को मापने, और संसाधन आवंटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ टूल्स उपयोग में लाए जा सकते है। राज्य ने एसडीजी हासिल करने में प्रत्येक जिले की स्थिति और प्रगति की विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए कुछ संसाधन (टूल्स) विकसित किए हैं। इस अध्याय में हम हम हरियाणा एसडीजी डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स, एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क और डिस्ट्रिक्ट प्रगति ऐप सहित इन टूल्स पर चर्चा करेंगे और एसडीजी के प्रभावी स्थानीयकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखेंगे।

6.1 हरियाणा एसडीजी जिला सूचकांक

एसडीजीसीसी, एसज़ेएचआईएफएम द्वारा बनाया गया हरियाणा एसडीजी जिला सूचकांक 2022, एसडीजी की दिशा में प्रत्येक जिले की प्रगति पर एक व्यापक नज़र डालता है। यह महत्वपूर्ण टूल एसडीजी सूचकांकों (इंडिकेटर्स) के विश्लेषण के आधार पर जिलों की रैंकिंग करके उनमें प्रतिस्पर्धी भावना को बढ़ावा देता है। यह जिलों की उपलब्धियों और शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगार, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और पर्यावरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है।

यह एक लक्ष्य-वार विश्लेषण प्रदान करता है, जिलों को उनकी स्थिति को समझने, उनकी ताकत को पहचानने और उन क्षेत्रों को इंगित करने में सहायता करता है जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सूचकांक जिलों को उनकी प्रगति के अनुसार चार श्रेणियों - एस्पिरेंट्स, परफॉर्मर्स, फ्रंट रनर्स और अचीवर्स - में वर्गीकृत करता है, तथा इस प्रकार सुधार के क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है। एसडीजी स्थानीयकरण पर जोर देने वाला यह टूल, हरियाणा के विज़न 2030 को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करता है।

हरियाणा एसडीजी डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स 2021-22

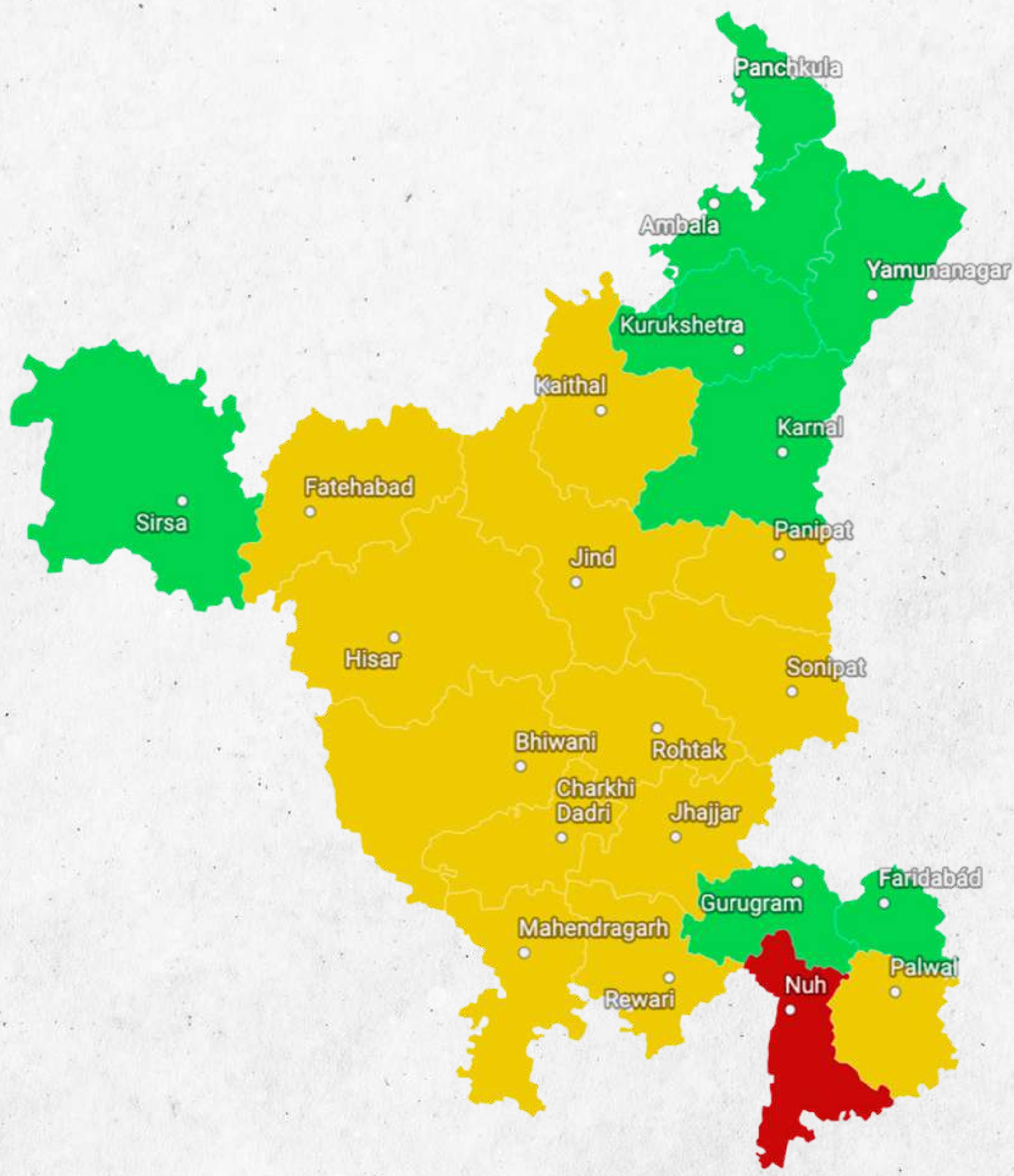

अचीवर्स (100)	फ्रंट रनर्स (65- 99)	परफॉर्मर्स (50-64)	एस्पिरेंट्स (0-49)

6.2 एसडीजी जिला प्रोफाइल: स्थानीय परिदृश्य को समझना

एसडीजी जिला प्रोफाइल हरियाणा के प्रत्येक जिले के संदर्भ और विशिष्टताओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन हैं। एसडीजीसीसी, एसजेएचआईएफएम ने जिला एसडीजी प्रोफाइल विकसित किया है, जो न केवल जिला-स्तरीय योजना, कार्यान्वयन और निगरानी में सहायता करता है, बल्कि अंतर-जिला संसाधन अंतराल का आकलन करने और प्रभावी एसडीजी प्राप्ति के लिए अंतर-विभागीय समन्वय में सुधार करने में भी सहायता करता है।

ये प्रोफ़ाइल प्रत्येक जिले, उसकी वर्तमान एसडीजी स्थिति, बजट आवंटन, व्यय विवरण और प्रासंगिक एसडीजी के साथ कल्याणकारी योजनाओं के बारे में व्यापक डेटा प्रदान करती हैं। यह विस्तृत डेटा स्थानीयकृत एसडीजी प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो लक्षित प्रयासों को सक्षम बनाता है और उपलब्ध संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करता है। जिला एसडीजी प्रोफाइल सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यापक, तथ्य-आधारित संसाधन प्रदान करने की राज्य की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करते हैं।

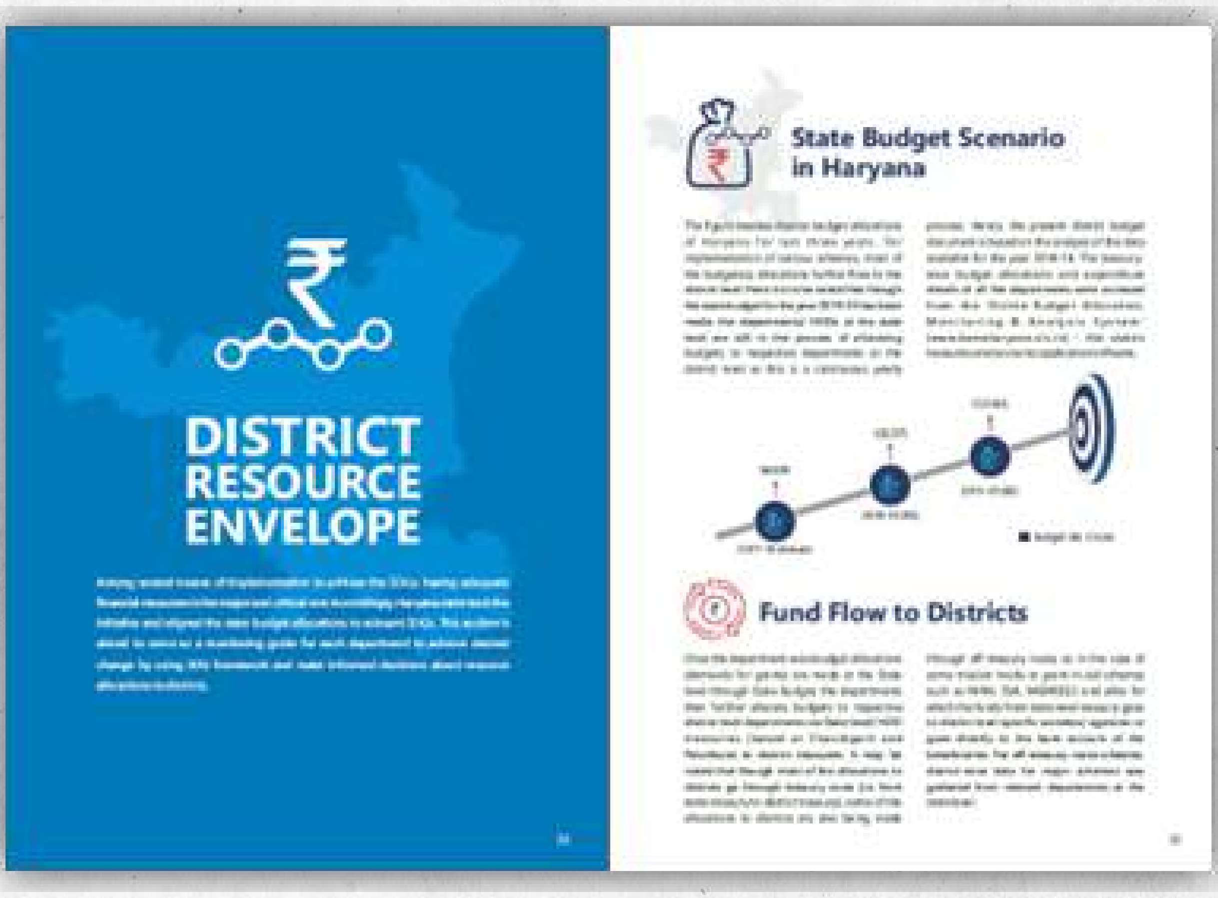

6.3 जिला संकेतक ढांचा: प्रगति को मापना

डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (डीआईएफ) एक निगरानी हेतु टूल है जिसे विशेष रूप से जिला स्तर पर एसडीजी की दिशा में प्रगति को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क और राज्य संकेतक फ्रेमवर्क के अनुरूप, इसमें 350 संकेतक और 83 एसडीजी लक्ष्य शामिल हैं, जिन्हें संबंधित विभागों के साथ गहन परामर्श के बाद चुना गया है।

डीआईएफ जिलों को अपनी एसडीजी कार्यान्वयन योजनाओं की रणनीति बनाने और संकेतकों और लक्ष्यों के आधार पर संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करने में सहायक हो सकता है। यह हितधारकों को उनकी प्रगति के लिए जवाबदेह रखता है और प्रगति रिपोर्ट कार्ड के रूप में कार्य करता है, जो सतत् विकास की दिशा में उठाए गए कदमों का लगातार आकलन करता है। यह टूल तथ्य-आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देने, यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि जिले अपने एसडीजी लक्ष्यों तक पहुंचने के रास्ते पर हैं, और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां अधिक कार्रवाई आवश्यक हो सकती है।

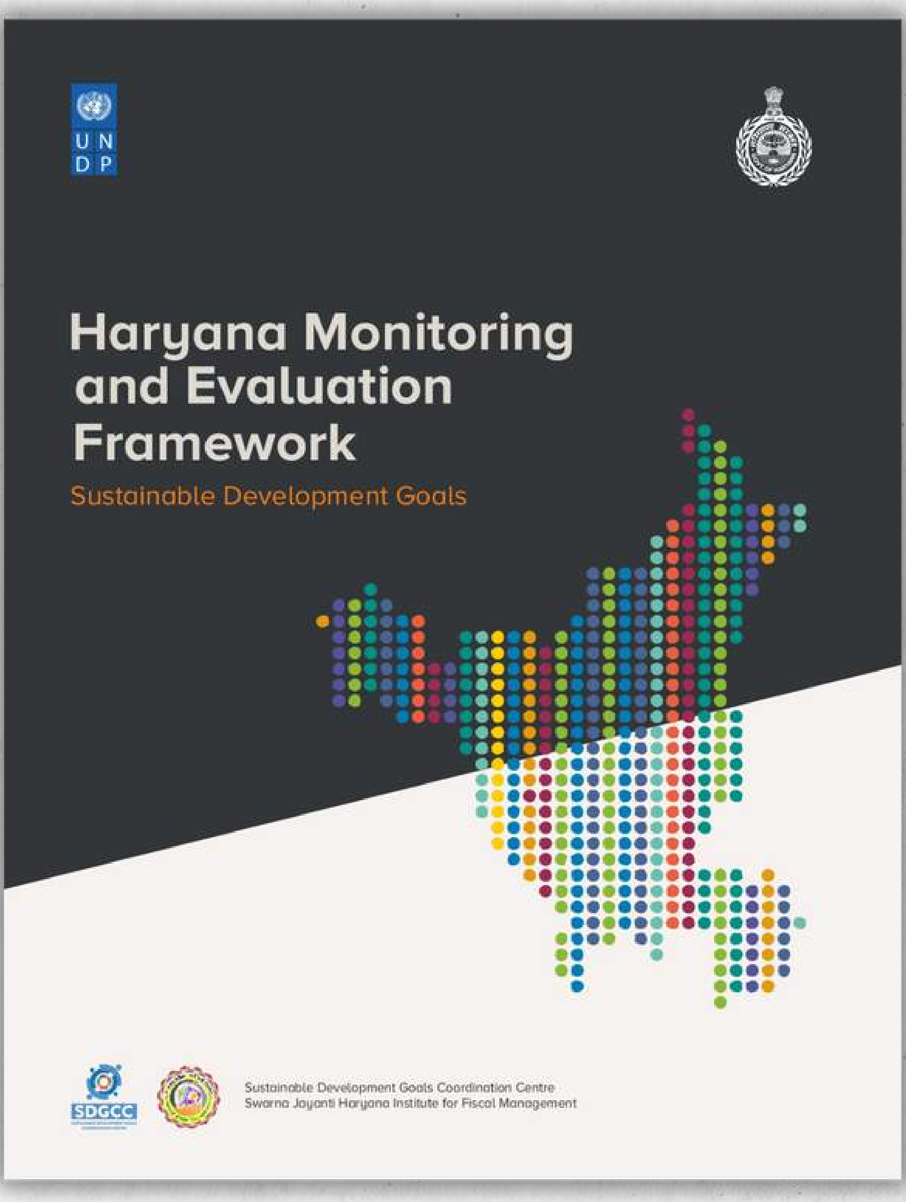

6.4 जिला प्रगति ऐप: प्रौद्योगिकी का उपयोग

जिला प्रगति (योजना, संसाधन विश्लेषण, लक्ष्य-निर्धारण, गतिविधि ट्रैकिंग और एकीकरण) ऐप एक अभिनव टूल है जो एकीकृत जिला-स्तरीय योजना का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। प्रत्येक जिले के लिए एक व्यापक डेटा और संसाधन केंद्र प्रदान करके, ऐप डेटा-संचालित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है और शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।

जिला सूचना हब, जिला संसाधन स्त्रोत, जिला मानव संसाधन और गतिविधि प्रगति ट्रैकिंग जैसी सुविधाओं के साथ, यह प्रत्येक जिले के संसाधनों, गतिविधियों, मानव शक्ति और योजना प्रगति का विस्तृत दृश्य प्रदान करता है। ऐप का उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस यह सुनिश्चित करता है कि जिला-स्तरीय अधिकारी आसानी से निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी तक पहुंच सकें। साथ ही, इसका इवेंट मैनेजमेंट फीचर प्रभावी संचार और सहयोग को बढ़ावा देते हुए जिला स्तर पर बैठकों और कार्यक्रमों की ट्रैकिंग को सरल बनाता है। संक्षेप में, जिला प्रगति ऐप जिला स्तर पर व्यापक योजना, संसाधन प्रबंधन और एसडीजी की प्रगति ट्रैकिंग के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करता है। इस ऐप की विस्तृत जानकारी शीघ्र ही sdgcc.in पर उपलब्ध होगी।

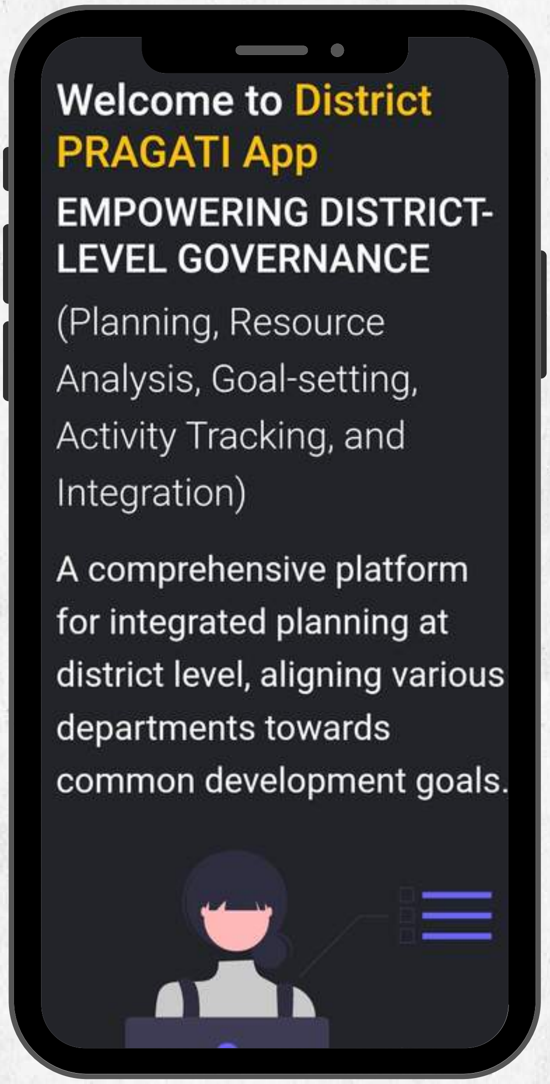

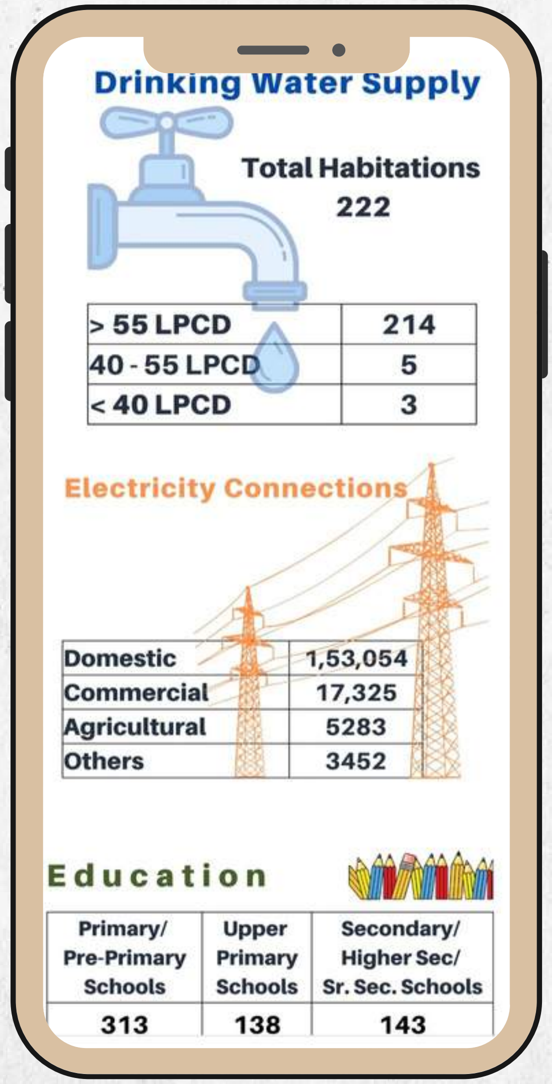

7. एसडीजी कार्यान्वयन में स्थानीय निकायों की भूमिका

स्थानीय निकाय, मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाएँ (पीआरआई), जमीनी स्तर पर सतत् विकास के प्रमुख चालक हैं। सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण और कार्यान्वयन में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीआरआई समुदायों के सबसे करीब हैं और उनकी विशेष परिस्थितियों, जरूरतों और कठिनाइयों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसलिए, वे स्थानीय स्तर पर एसडीजी से संबंधित रणनीतियों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी का नेतृत्व करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में हैं।

7.1 पीआरआई में एसडीजी स्थानीयकरण के लिए एमओपीआर द्वारा विधि

भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने एसडीजी हासिल करने में पीआरआई की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाया है। मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों के स्तर पर एसडीजी स्थानीयकरण की सुविधा के लिए एक विषयगत दृष्टिकोण विकसित किया है। ये थीम 17 एसडीजी को स्थानीय संदर्भ और गांवों की वास्तविकताओं के अनुरूप नौ व्यापक, परस्पर संबंधित श्रेणियों/थीम में एकत्रित करती हैं।

थीम 1: गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत गाँव

यह विषय सभी रूपों में गरीबी उन्मूलन और सभी के लिए सतत् आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार और सभ्य काम को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

थीम 2: स्वस्थ गाँव

यहां उद्देश्य सभी उम्र के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और कल्याण को बढ़ावा देना है।

थीम 3: बाल हितैषी गाँव

यह विषय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बाल श्रम और बाल विवाह के उन्मूलन और बच्चों के लिए एक पोषण और सुरक्षित वातावरण बनाने की वकालत करता है।

थीम 4: पर्याप्त जल युक्त गाँव

यहां ध्यान यह सुनिश्चित करने पर है कि सभी के लिए पानी और स्वच्छता उपलब्ध हो और उसका प्रबंधन स्थायी रूप से किया जाए।

थीम 5: स्वच्छ एवं हरित गाँव

यह थीम प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, अपशिष्ट को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने पर जोर देती है।

थीम 6: आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गाँव

यहां लक्ष्य लचीला बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना और नवाचार को प्रोत्साहित करना है।

थीम 7: सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सुरक्षित गाँव

यह विषय समुदायों के भीतर और बीच असमानता को कम करने और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने पर जोर देता है।

थीम 8: सुशासन वाला गाँव

यहां फोकस सभी स्तरों पर उत्तरदायी, समावेशी, भागीदारीपूर्ण और जवाबदेह संस्थानों को सुनिश्चित करने पर है।

थीम 9: महिला हितैषी गाँव

यह विषय लैंगिक समानता प्राप्त करने और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।

थीमवार ग्राम पंचायतों की भूमिका

थीम 1 में ग्राम पंचायतों की भूमिका

- गरीबों, निराश्रित और कमजोर लोगों की पहचान सुनिश्चित करना और बुनियादी सेवाओं जैसे आवास, पानी, स्वच्छता, बिजली, ईंधन, शिक्षा, स्कूलों में मध्याहन भोजन, और सामाजिक सुरक्षा उपायों और योजनाओं तक उनकी पहुंच की सुविधा प्रदान करना।
- पीडीएस के तहत परिवारों का नामांकन।
- कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास, रोजगार, स्वयं सहायता समूहों के निर्माण, सूक्ष्म वित्त सहित वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, कृषि और पशुपालन में कौशल उन्नयन के माध्यम से आय सृजन की सुविधा प्रदाएगी सुनिश्चित करना।
- योजनाओं के अभिसरण और मनरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से रोजगार सृजन को सुगम बनाना।
- ग्राम पंचायत में स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना, जो रोजगार सृजित करे तथा जिससे स्थानीय संस्कृति और स्थानीय उपज को बढ़ावा मिले।

थीम 2 में ग्राम पंचायतों की भूमिका

- आईसीडीएस के तहत बच्चे, गर्भवती महिलाएं और किशोरियां का नामांकन सुनिश्चित करना।
- ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियों के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करना।
- मलेरिया, जलजनित रोगों और अन्य संचारी रोगों से निपटने के लिए समग्र स्वच्छता की निगरानी करना।
- गैर-संचारी रोगों के बारे में जागरूकता को सुगम बनाना, और रोगों के शीघ्र निदान और समय पर उपचार को बढ़ावा देना।
- शराब और मादक द्रव्यों के हानिकारक सेवन को संबोधित करना।
- ग्राम पंचायत अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थानों में आपातकालीन देखभाल प्रणालियों को मजबूत करना और सभी के लिए समय पर आपातकालीन देखभाल सुनिश्चित करना।

थीम 3 में ग्राम पंचायतों की भूमिका

- शाला पूर्व शिक्षा से संबंधित तंत्र को मजबूत बनाना।
- स्कूलों में छात्रों के शत-प्रतिशत नामांकन और प्रतिधारण के लिए पर्यावरण निर्माण करना।
- स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की और छात्रों की अनियमित उपस्थिति की जाँच करना।
- शाला प्रबंधन समिति/अभिभावक- शिक्षक संघ के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी करना।
- छात्रवृत्ति, वर्दी, पाठ्यपुस्तकें, मध्याहन भोजन आदि जैसी पात्रताओं तक पहुँच को सुगम बनाना।
- शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत बच्चों के अधिकारों पर जागरूकता पैदा करना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नीति का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

थीम 4 में ग्राम पंचायतों की भूमिका

- जल के सुरक्षित उपयोग, प्रदूषण की रोकथाम और स्वच्छ आदतों के बारे में समुदायों को शिक्षित करना।
- जल प्रबंधन में सुधार के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी को सुनिश्चित करना।
- सभी घरों को पानी और स्वच्छता संसाधनों के उपयोग और प्रबंधन के प्रमुख पहलुओं पर जानकारीदेना।
- सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में बाल एवं बालिकाओं के लिए पर्याप्त और क्रियाशीलशौचालय सुविधाएं सुनिश्चित करना।
- सभी बाजारों और ग्राम पंचायत परिसर सहित सार्वजनिक स्थलों के शौचालयों का रखरखाव सुनिश्चित करना।
- मैजिक पिट, किचन गार्डनिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके जल आपूर्ति और ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए उपयुक्त तकनीकों का चयन करना।
- पर्याप्त जल आपूर्ति, पीने योग्य पेयजल और जल विश्लेषण और मापदंड सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एजेंसियों से संपर्क करना।
- मौजूदा और निर्माणाधीन संपत्तियों के प्रबंधन के लिए लोगों की समितियाँ गठित करना और उनकी क्षमता विकास करना।
- आधुनिक कृषि और जल उपयोग प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना।

थीम 5 में ग्राम पंचायतों की भूमिका

- स्वच्छ भारत अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- ग्राम पंचायत में पर्यावरण प्रदूषण को कम करने वाले उपायों को बढ़ावा देना, जैसे ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर प्लास्टिक के उपयोग को कम करना।
- ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करना।
- ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी तालाबों की नियमित सफाई एवं रख-रखाव की निगरानी करना।
- सिंचाई और ड्रिप सिस्टम के लिए ऊर्जा संरक्षण उपायों (एलईडी लैंप, स्टार-रेटेड उपकरण), और ऊर्जा कुशल पंपों को अपनाने को लोकप्रिय बनाना।
- मनरेगा के साथ अभिसरण के माध्यम से वनीकरण और संरक्षण अभियान को बढ़ावा देना।
- वनों, जल निकायों सहित प्राकृतिक संसाधनों का समुदाय-आधारित प्रबंधन।
- ग्राम पंचायत स्तर पर जैव विविधता रजिस्टर तैयार करना और उनका रखरखाव करना।
- नदियों में अपशिष्ट और सीवेज के निर्वहन को कम करने के उपायों को बढ़ावा देना।

थीम 6 में ग्राम पंचायतों की भूमिका

- सहयोगी सर्वेक्षणों के माध्यम से आधारभूत ढांचे की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना।
- पंचायत संपत्तियों के प्रबंधन के लिए लोगों की समितियाँ गठित करना।
- स्वतंत्र बुनियादी ढांचा युक्त गाँव बनने के लिए उपयुक्त योजनाओं की पहचान करना।
- सभी मौसमों में सड़कों/संपर्क पथों की उपलब्धता, समुदाय स्तर पर सौर ऊर्जा का उपयोग, सभी के लिए स्थायी आवासों की उपलब्धता हेतु प्रयासरत रहना।
- ढकी हुई नालियों के माध्यम से जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

थीम 7 में ग्राम पंचायतों की भूमिका

- ग्राम सभा में भाग लेने के लिए महिलाओं, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों और कमजोर लोगों को प्रोत्साहित करना और जब भी आवश्यक हो विशेष ग्राम सभा बैठकें आयोजित करना।
- महिलाओं और अन्य हाशिए के वर्गों के लिए विकास गतिविधियों के लिए पर्याप्त संसाधनों की पहचान करना और आवंटित करना।
- गरीबों और कमजोर समूहों के लिए विभिन्न योजनाओं की जागरूकता हेतु प्रचार- प्रसार करना
- सार्वजनिक वितरण सेवाओं की निगरानी करना।
- नागरिकों तक सेवाओं की समय पर पहुँच सुनिश्चित करना।
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास की व्ययवस्था हेतु सहायता करना।
- महिलाओं और बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना।
- सभी जन्मों का पूर्ण पंजीकरण सुनिश्चित करना।
- रोजगार के अवसरों को पहचानना तथा समान कार्य अवसर सुनिश्चित करना।

थीम 8 में ग्राम पंचायतों की भूमिका

- ग्रामीण स्थानीय निकायों की विभिन्न स्थायी समितियों/ उप-समितियों को सशक्त बनाना।
- शासन और सेवा वितरण और पारदर्शिता के अन्य उपायों की निगरानी के लिए मंच के रूप में नागरिक चार्टर, सामाजिक अंकेक्षण, ग्राम सभा को स्थापित करके ग्राम पंचायत कार्यालय और संबंधित कार्यालयों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना।
- ग्राम पंचायत में सभी कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना और निगरानी करना और ग्राम पंचायत के सभी निर्णयों और गतिविधियों पर सूचना का सक्रिय प्रकटीकरण करना।

थीम 9 में ग्राम पंचायतों की भूमिका

- लैंगिक भेदभाव के खिलाफ जागरूकता को बढ़ावा देना।
- 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान को बढ़ावा देना।
- स्कूल में नामांकन और लड़कियों को निरंतर शिक्षा दिलाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करना।
- शत-प्रतिशत जन्म पंजीकरण सुनिश्चित करना।
- बाल विवाह, लिंग-चयनात्मक गर्भपात, महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए अभियान को सफल बनाना।
- आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा स्वयं सहायता समूहों का सुदृढ़ीकरण करना।
- स्थानीय विकास संबंधी निर्णयों, संबंधित समितियों, कार्य समूहों और स्थानीय शासन में महिलाओं की सदस्यता और भागीदारी सुनिश्चित करना।

इनमें से प्रत्येक विषय एक या अधिक एसडीजी से निकटता से जुड़ा हुआ है। विषयगत दृष्टिकोण व्यापक, विश्वव्यापी एसडीजी को कार्रवाई योग्य, स्थानीय लक्ष्यों में विभाजित करने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि ग्राम पंचायतों के रोजमर्रा के प्रशासन और विकास योजना में सतत् विकास के सिद्धांतों को शामिल किया जाए। ऐसा करके, इसका लक्ष्य 'किसी को भी पीछे न छोड़ने' के दृष्टिकोण को प्राप्त करना है।

7.2 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में एसडीजी

शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में नगर निगम, नगर प्रशासन और छोटे नगर परिषद शामिल हैं। एसडीजी को वास्तविकता बनाने के लिए यूएलबी की भूमिका आवश्यक हैं। विभिन्न एसडीजी में उनकी भूमिकाएँ अलग-अलग हैं।

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994, यूएलबी के लिए जल आपूर्ति और सीवरेज निपटान समिति, भवन और सड़क समिति, हाउस टैक्स मूल्यांकन समिति और वित्त और अनुबंध समिति जैसी कई तदर्थ और स्थायी समितियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। ये समितियाँ आसानी से उपलब्ध संस्थागत ढांचा प्रदान करती हैं जिसका उपयोग नगर पालिकाओं की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी ढांचे में एसडीजी को एकीकृत करने के लिए किया जा सकता है। अधिनियम 'वार्ड समितियों' को भी निर्धारित करता है, जो वार्ड स्तर पर विकास गतिविधियों के निष्पादन और निगरानी की सुविधा प्रदान करती है।

17 एसडीजी में से प्रत्येक को प्राप्त करने में नगरीय निकाय/यूएलबी की संभावित भूमिकाएं नीचे सूचीबद्ध हैं:

- नगरीय निकाय शहरी गरीबों, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों, निराश्रितों और अन्य लोगों की पहचान कर सकते हैं जो विपदाओं और आपदाओं के प्रति गंभीर रूप से संवेदनशील हैं। वे आवास, पानी, स्वच्छता, नौकरियों और वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

- नगरीय निकाय यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, स्वच्छता और स्वच्छता पर केंद्रित कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण की गारंटी देने वाले कार्यक्रमों से जुड़े हों।

- नगरीय निकाय बीमारियों को नियंत्रित करने और वायु गुणवत्ता, नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन और सड़क सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए शहरव्यापी स्वच्छता अभियान आयोजित कर सकते हैं।

- नगरीय निकाय शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे सकते हैं।

- नगरीय निकाय 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियानों को बढ़ावा दे सकते हैं और लैंगिक भेदभाव और लिंग के आधार पर हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ा सकते हैं।

- नगरीय निकाय ऐसी तकनीक पेश कर सकते हैं जो जल का कुशलतापूर्वक उपयोग करती है और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजनाओं और कार्यान्वयन का समर्थन करती है।

- नगरीय निकाय शहरी बुनियादी ढांचे में सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दे सकते हैं।

- नगरीय निकाय अपने क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मैप करने में मदद कर सकते हैं।

- नगरीय निकाय अपने क्षेत्र में मौजूदा और संभावित उद्योग समूहों का मानचित्रण कर सकते हैं।
- नगरीय निकाय यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कमजोर समूहों को लाभकारी सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जाए।
- नगरीय निकाय सभी, विशेषकर झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए किफायती आवास और बुनियादी ढांचे तक पहुंच की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।
- नगरीय निकाय एक चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकते हैं और सार्वजनिक खरीद और बुनियादी अधोसंरचना के माध्यम से चक्रीय व्यापार मॉडल की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।
- नगरीय निकाय स्थानीय योजना में जलवायु परिवर्तन संबंधी विचारों को शामिल कर सकते हैं।
- शहरी क्षेत्रों में कृषि वानिकी, ग्रीनबेल्ट और हरे खुले स्थानों को नगरीय निकाय बढ़ावा दे सकते हैं।
- यूएलबी नगरीय प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकते हैं।
- नगरीय निकाय सतत् विकास के लिए नवाचारों में निजी क्षेत्र, थिंक टैंक और शिक्षाविदों की भागीदारी की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

इन भूमिकाओं और गतिविधियों के माध्यम से, नगरीय निकाय/यूएलबी शहरी स्तर पर एसडीजी की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जो 2030 एजेंडा की समग्र सफलता के लिए आवश्यक है।

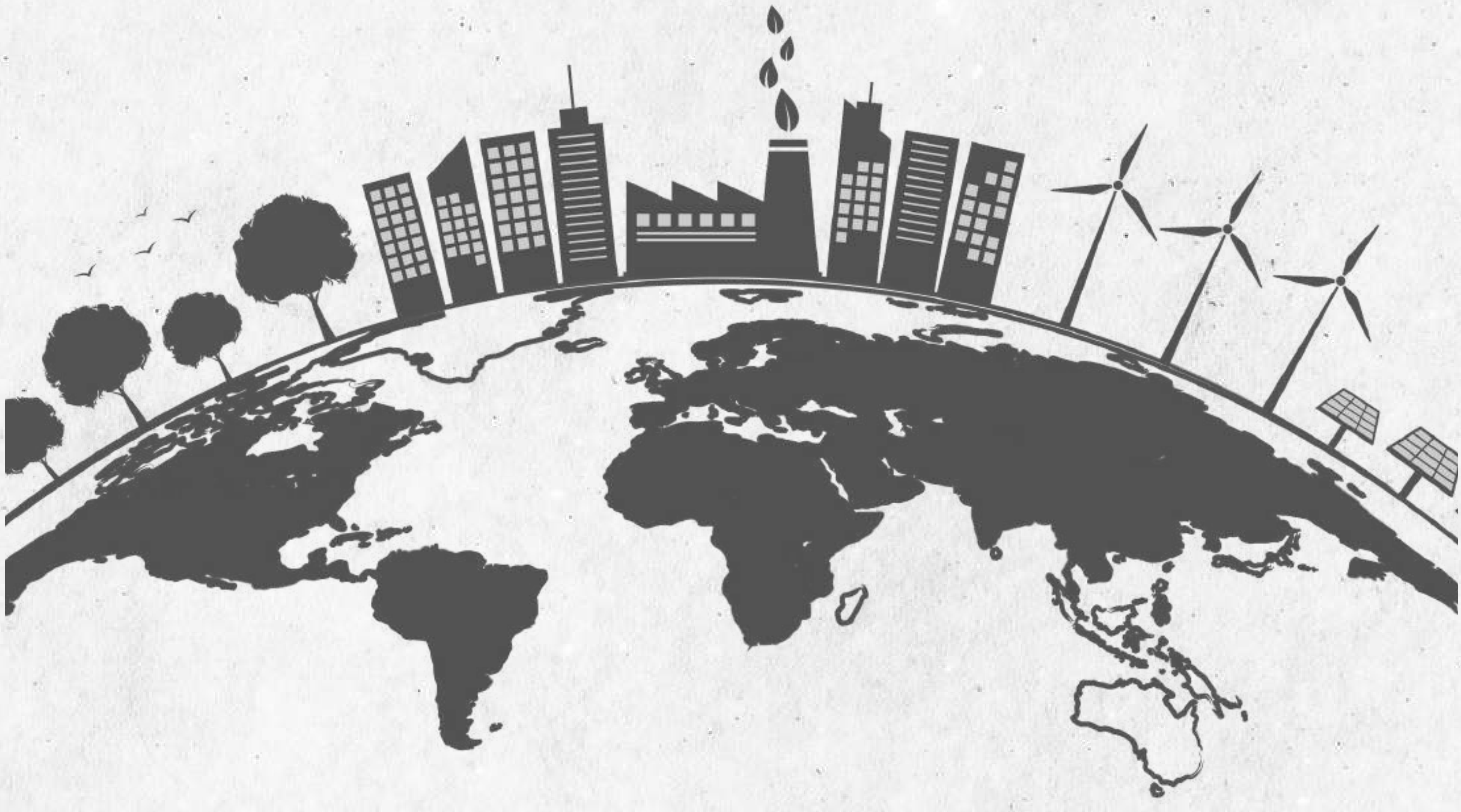

8. स्थानीय स्तर पर एसडीजी कार्यान्वयन के लिए टूल्स

सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीय स्तर के कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट लक्ष्यों, रणनीतियों और मूल्यांकन तंत्र के संयोजन की आवश्यकता होती है। पंचायतों को ऐसे टूल्स से लैस करना महत्वपूर्ण है जो एसडीजी के सफल स्थानीयकरण को सक्षम बनाते हैं। पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) द्वारा प्रदान किए गए दो ऐसे टूल्स हैं, स्थानीय संकेतक ढांचा और पंचायत विकास सूचकांक। ये टूल्स प्रगति सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन पर ध्यान देने के साथ एसडीजी कार्यान्वयन के लिए एक स्पष्ट तरीका प्रदान करते हैं।

8.1 स्थानीय संकेतक फ्रेमवर्क (एलआईएफ)

स्थानीय संकेतक फ्रेमवर्क (एलआईएफ) एक टूल है जिसे एमओपीआर द्वारा एसडीजी के प्रति अपनी प्रगति को मापने में पंचायतों की मदद करने के लिए विकसित किया गया है। इस टूल में संकेतों का एक सेट है जो स्थानीय क्षेत्र के लिए प्रासंगिक है और 17 एसडीजी में से प्रत्येक के अनुरूप है। ये संकेतक एसडीजी हासिल करने में पंचायतों के प्रदर्शन को देखने का एक ठोस साधन प्रदान करते हैं। एमओपीआर द्वारा निर्धारित 9 थीमों के अंतर्गत कुल 168 एलआईएफ टार्गेट्स और 577 एलआईएफ इंडिकेटर्स/संकेतक हैं। एलआईएफ में विभिन्न थीमों में डेटा का संकलन ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह स्थानीय संकेतक फ्रेमवर्क (एलआईएफ) एमओएसपीआई के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) के अनुरूप है। ग्राम पंचायतों द्वारा लिए गए फोकस एलआईएफ टार्गेट्स एवं संकेतकों की संख्या उनकी जरूरतों के अनुसार है भिन्न हो सकती है।

इन संकेतकों के उपयोग से पंचायतों को उन क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता मिल सकती है जहां वे प्रगति कर रहे हैं और जिन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यह डेटा-आधारित पद्धति तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना आसान बनाती है और संसाधनों का सबसे उपयोगी तरीके से उपयोग करने में मदद करती है। इसके अलावा, स्थानीय संकेतक ढांचा पंचायतों की प्रगति को सभी के लिए उपलब्ध कराकर प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और जिम्मेदार बनाने में मदद कर सकता है। इससे न केवल पंचायतें अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहती हैं बल्कि समुदाय को प्रगति और बाधाओं के बारे में भी जानकारी मिलती रहती है।

सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए एमओपीआर द्वारा निर्धारित 9 थीमों को ध्यान में रखते हुए, संबंधित विभागों की विभिन्न ग्राम कार्य योजनाओं के एकीकरण के साथ ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी के लिए एमओपीआर द्वारा ईग्रामस्वराज पोर्टल (https://egramswaraj.gov.in/) को संशोधित किया गया है।

पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई)

पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई) एमओपीआर द्वारा एक और महत्वपूर्ण टूल है, जिसे एसडीजी से जुड़े विभिन्न विकास मापदंडों में उनके प्रदर्शन के आधार पर पंचायतों को रैंक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एमओपीआर ने 9 थीम, 144 टार्गेट्स और 577 संकेतकों के आधार पर पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई) तैयार किया है।

पीडीआई एक एकल समग्र स्कोर प्रदान करता है जो स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे कई कारकों को ध्यान में रखता है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र विशिष्ट एसडीजी से निकटता से जुड़ा हुआ है, और पीडीआई एक नज़र में यह समझने देता है कि एक पंचायत इन लक्ष्यों के संबंध में कैसा प्रदर्शन कर रही है। समग्र पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई) के आधार पर, ग्राम पंचायतों को 5 ग्रेड के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है - अचीवर: ए+ (>90), फ्रंट रनर: ए (>75-90), परफॉर्मर: बी (>60-75), एस्पिरेंट : सी (>40-60), बिगिनर/शुरुआती: डी (0-40)।

यह सूचकांक पंचायतों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है और उन्हें अपने स्कोर में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। पीडीआई नीति निर्माताओं और विकास एजेंसियों को उन पंचायतों की पहचान करने में भी मदद करता है जो पिछड़ रही हैं और जिन्हें अतिरिक्त समर्थन या हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

अत:, एमओपीआर का स्थानीय संकेतक ढांचा और पंचायत विकास सूचकांक एसडीजी को स्थानीय बनाने के लिए प्रमुख टूल हैं। ये टूल्स पारदर्शिता, जवाबदेही और निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए जमीनी स्तर पर एसडीजी के लक्षित और प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करते हैं।

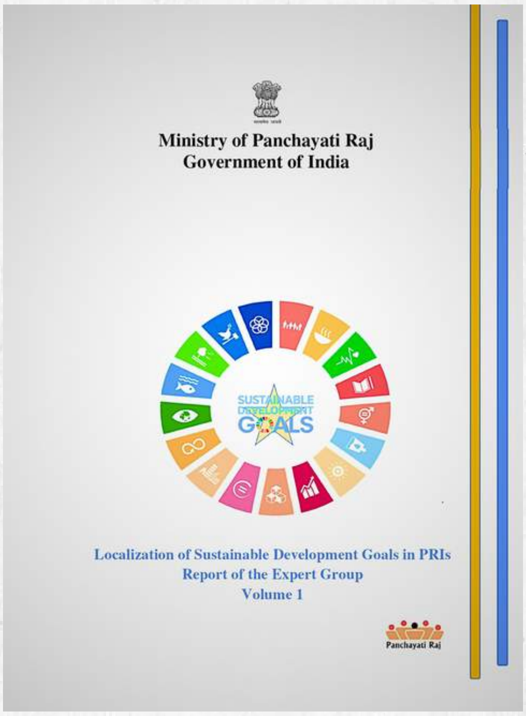

https://panchayat.gov.in/document/report-on-localization-of-sdgs-through-pris-vol-i/

https://drive.google.com/file/d/1EOMDTdfbs93W2FYHTqbvPVAXIAO_r1LX/view?usp=drive_link

9. सामुदायिक स्तर पर एसडीजी: अन्य हितधारकों को शामिल करना

इस अध्याय में, हम सामुदायिक स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में विभिन्न हितधारकों की भूमिका पर चर्चा करेंगे। यह भूमिका न केवल सरकारी संगठनों तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाज, और निजी क्षेत्र के सहभागियों को भी शामिल करती है। हम इसे 'संपूर्ण-समाज' दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं। इसके अलावा, लैंगिक समानता भी एसडीजी के कार्यान्वयन में एक क्रॉस-कटिंग भूमिका निभाती है।

9.1 'संपूर्ण-समाज' दृष्टिकोण

जिस प्रकार प्रशासनिक स्तर पर 'संपूर्ण-सरकार' दृष्टिकोण आवश्यक है, उसी प्रकार सफल एसडीजी कार्यान्वयन के लिए सामुदायिक स्तर पर 'संपूर्ण-समाज दृष्टिकोण' (whole-of-society-approach) भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण एसडीजी प्रयासों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी में समाज के सभी क्षेत्रों - गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और सामुदायिक समूहों - को शामिल करने पर जोर देता है । यह स्वीकार करता कि सतत् विकास एक संयुक्त जिम्मेदारी है जिसके लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। यह दृष्टिकोण विविध दृष्टिकोणों और योगदानों को महत्व देता है, और सभी हितधारकों के बीच भागीदारी, समावेशिता और सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

9.2 गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र की भूमिका

गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) स्थानीय स्तर पर एसडीजी के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अक्सर सरकार और समुदायों के बीच पुल के रूप में काम करते हैं, सूचना के आदान-प्रदान, तकनीकी सहायता, संसाधन मानचित्रण और सामुदायिक जुड़ाव की सुविधा प्रदान करते हैं। एसडीजी के बारे में समुदायों को शिक्षित करने, उनके कार्यान्वयन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और ग्राम पंचायत योजना सुविधा टीम (जीपीपीएफटी) को तकनीकी सहायता प्रदान करने में उनकी भूमिका अमूल्य है।

व्यवसायों और निगमों सहित निजी क्षेत्र, एसडीजी उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। वे टिकाऊ व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाकर, टिकाऊ प्रौद्योगिकियों और नवाचारों में निवेश करके, अच्छे कार्य अवसर पैदा करके और सामुदायिक विकास पहल में योगदान करके ऐसा कर सकते हैं।

युवा समूहों और स्वयं सहायता समूहों सहित नागरिक समाज, स्थानीय समुदायों की जीवनधारा है। युवा अपनी ऊर्जा, रचनात्मकता और अनुकूलनशीलता के साथ परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में उनकी आवाज़ को शामिल करना और विशिष्ट विषयों के एकीकरण की निगरानी में उन्हें शामिल करना आवश्यक है।

महिला स्व-सहायता समूह (एसएचजी) पंचायतों और एसएचजी के बीच अभिसरण के लिए प्रमुख सूत्रधार साबित हुए हैं। वे सामुदायिक गतिशीलता, सूचना प्रसार, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) आयोजित करने और वार्ड सभा और महिला सभा में भाग लेने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। एसएचजी ग्राम पंचायत स्तर पर एसडीजी प्राप्त करने में सेवा वितरण की समुदाय-आधारित निगरानी और प्रगति ट्रैकिंग में भी प्रभावी हैं।

9.3 लैंगिक समानता और एसडीजी: एक क्रॉस-कटिंग प्राथमिकता

एसडीजी 5 (लैंगिक समानता) केवल एक अलग लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक व्यापक मुद्दा है जो अन्य सभी लक्ष्यों `को प्रभावित करता है। लैंगिक समानता सुनिश्चित करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना सतत् विकास के सभी आयामों का अभिन्न अंग है। स्वास्थ्य और शिक्षा से लेकर आर्थिक भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक, लैंगिक असमानताओं को संबोधित करना एसडीजी की उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

सामुदायिक स्तर पर, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की सक्रिय और समान भागीदारी सुनिश्चित करना, महिला स्वयं सहायता समूहों की क्षमता का लाभ उठाना और लिंग आधारित भेदभाव को संबोधित करना लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इसके अतिरिक्त, संसाधनों, सेवाओं और अवसरों तक महिलाओं की पहुंच को बढ़ावा देने वाली पहल व्यापक एसडीजी एजेंडे में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर लिंग-उत्तरदायी योजना और कार्यान्वयन सभी के लिए अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ भविष्य बनाने में मदद कर सकता है।

10. समुदायों को शामिल करने और जोड़ने के तरीके

सतत् विकास लक्ष्यों के सफल स्थानीयकरण के लिए विकास प्रक्रिया में समुदायों को सक्रिय करना और शामिल करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए प्रभावी संचार और ज्ञान, विचारों और अनुभवों को साझा करने की आवश्यकता है। इस संबंध में, केस अध्ययन और वृत्तचित्र शिक्षा, प्रेरणा और कार्रवाई के लिए बेहतरीन टूल्स के रूप में काम कर सकते हैं।

10.1 केस स्टडीज और वृत्तचित्र: सफलता से सीखना

सर्वोत्तम प्रथाओं पर केस स्टडीज

एसडीजीसीसी हरियाणा ने दस अलग-अलग विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सर्वोत्तम अभ्यास केस अध्ययनों का एक संग्रह विकसित किया है। प्रत्येक केस स्टडी राज्य में लागू विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है और उनके कार्यान्वयन के दौरान आने वाली चुनौतियों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है। यह संकलन जानकारी और सीखने का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करता है जो समान पहलों का मार्गदर्शन और प्रेरणा दे सकता है।

केस स्टडीज़ के उदाहरण

"हरियाणा में जन्म के समय बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकना" (स्वास्थ्य और डब्ल्यूसीडी) पर केस अध्ययन लैंगिक समानता और बाल कल्याण के लिए की गई रणनीतियों और प्रयासों का दस्तावेजीकरण करता है।

https://sdgcc.in/wp-content/uploads/2020/07/Child-Sex-Ratio.pdf

"हरियाणा में पॉक्सो एक्ट" पर अध्ययन यह दर्शाता है कि कैसे बेहतर कार्यनीति के जरिए समाज में बच्चों के लिए सुरक्षित एवं खुशहाल वातावरण बनाया जा सकता है।

https://sdgcc.in/wp-content/uploads/2020/07/Child-Sex-Ratio.pdf

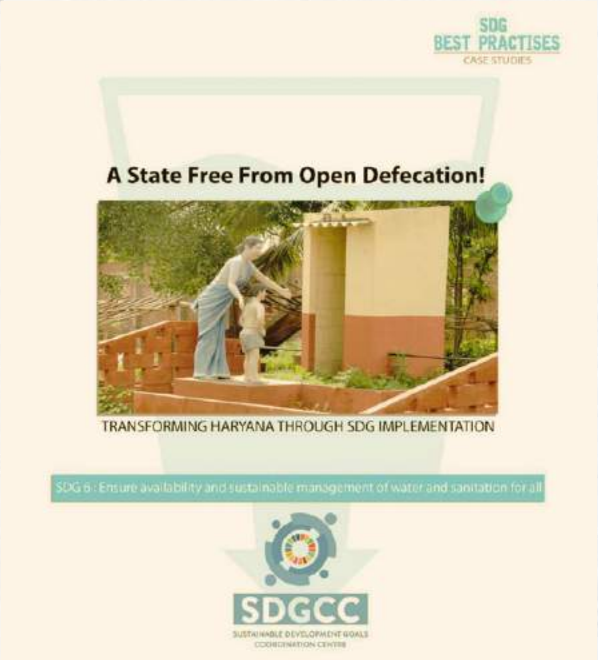

"स्वच्छ भारत अभियान की बदौलत हरियाणा अब खुले में शौच से मुक्त है" (ग्रामीण विकास/पंचायत) पर अध्ययन दर्शाता है कि कैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए स्वच्छता और सफाई को प्राथमिकता दी गई।

https://sdgcc.in/wp-content/uploads/2020/07/Child-Sex-Ratio.pdf

"अनमोल - 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी के साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवा" (स्वास्थ्य विभाग) दर्शाता है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया गया।

https://sdgcc.in/wp-content/uploads/2020/07/Child-Sex-Ratio.pdf

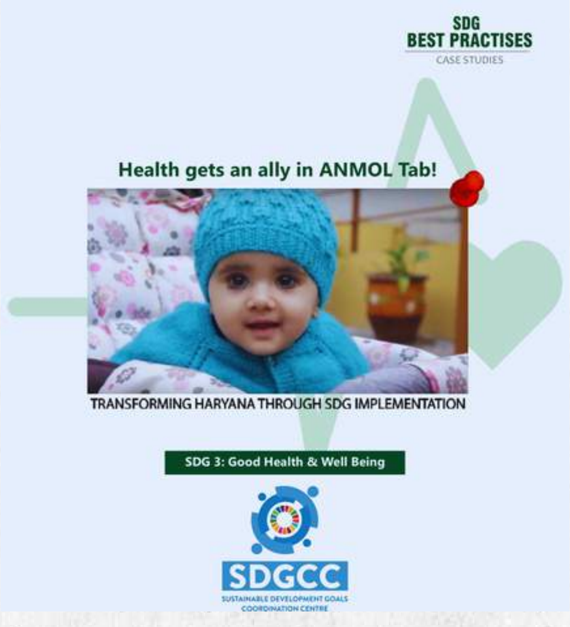

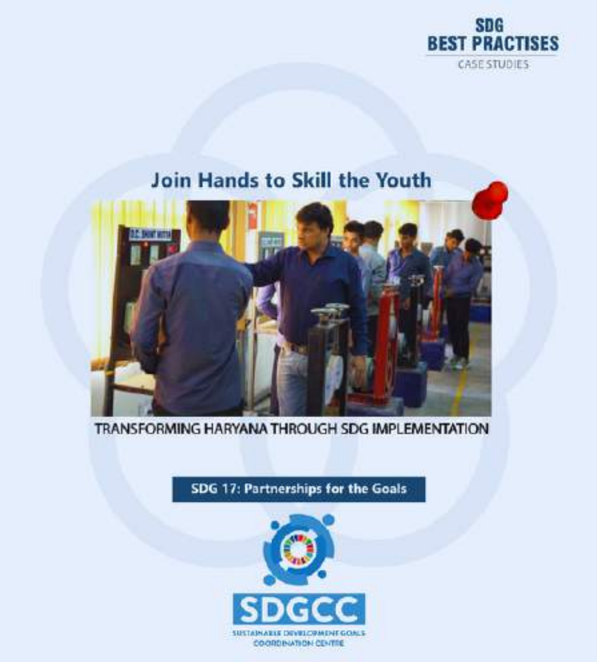

"हरियाणा के युवाओं को उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से भविष्य के लिए तैयार करना" (तकनीकी शिक्षा विभाग) पर केस स्टडी युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास और शिक्षा के महत्व पर जोर देती है।

https://sdgcc.in/wp-content/uploads/2020/07/JOIN-HANDS-TO-SKILL-THE-YOUTH.pdf

सर्वोत्तम प्रथाओं पर फिल्में/ वृत्तचित्र

एसडीजीसीसी हरियाणा ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सर्वोत्तम प्रथाओं पर छह फिल्में भी बनाई हैं, जो बाल लिंग अनुपात में सुधार, हरियाणा को खुले में शौच से मुक्त बनाना, बच्चों को यौन शोषण से बचाना, प्रौद्योगिकी के माध्यम से एएनएम कार्यकर्ताओं की दक्षता में वृद्धि, रोजगार कौशल में सुधार और आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सफल पहल को दर्शाती हैं। ये फिल्में राज्य की उपलब्धियों का एक जीवंत और आकर्षक रिकॉर्ड प्रदान करती हैं, वास्तविक जीवन की कहानियों को साझा करती हैं जो समुदायों को अपनी विकास प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकती हैं।

https://youtu.be/T3j3UZlePuk

https://youtu.be/IKl0Tpjhc2U

https://youtu.be/j0PHRT3mqzg

https://www.youtube.com/watch?v=H0TMUAMuIJY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=tJWQdtbadvY

ये केस अध्ययन और वृत्तचित्र न केवल एसडीजी के प्रति हरियाणा की प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में काम करते हैं, बल्कि समुदायों को जोड़ने के लिए प्रभावी टूल्स के रूप में भी काम करते हैं। वे मूल्यवान सबक और अंतर्दृष्टि को समाहित करते हैं जो अन्य क्षेत्रों को सतत् विकास की दिशा में उनकी यात्रा में मार्गदर्शन कर सकते हैं।

11. प्रशिक्षकों के लिए कार्य बिंदु

प्रशिक्षक विभिन्न स्तरों पर विकास योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मार्गदर्शक और और प्रेरणा देने का काम करते हैं, समुदायों की सहायता करते हैं ताकि वे अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों को समझ सकें, और उन्हें सतत् विकास की दिशा में बढ़ने में मदद करते हैं।

11.1 जीपीडीपी, ब्लॉक और जिला स्तरीय योजनाएं तैयार करने में सुविधा

इस खंड में, ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी), ब्लॉक स्तरीय योजनाओं और जिला स्तरीय योजनाओं की तैयारी को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रशिक्षकों या संसाधन व्यक्तियों के लिए मुख्य कार्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। ये कार्य बिंदु योजना के प्रत्येक चरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए, प्रक्रिया के माध्यम से प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

11.1.1 ग्राम पंचायत विकास योजना को सुविधाजनक बनाना: जन-केंद्रित विकास की ओर जन योजना अभियान का परिचय

जन योजना अभियान अभियान एक वार्षिक पहल है जो 2 अक्टूबर से 31 मार्च तक चलती है। यह एक राष्ट्रव्यापी प्रयास है जिसका लक्ष्य सामुदायिक भागीदारी की मदद से ग्राम पंचायत विकास योजना बनाना है।

जीपीडीपी को समझना

जीपीडीपी समुदाय द्वारा पहचानी गई विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को संबोधित करते हुए स्थानीय विकास के लिए एक रोडमैप के रूप में कार्य करता है। यह एक रणनीतिक योजना है जो ग्राम पंचायत के विकास लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों की रूपरेखा तैयार करती है।

सामुदायिक भागीदारी की शक्ति

सामुदायिक भागीदारी जीपीडीपी प्रक्रिया की रीढ़ बनती है। यह सुनिश्चित करती है कि योजना समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप है। ग्राम सभा की बैठकों के माध्यम से, स्थानीय निवासियों को अपने विचारों, चिंताओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करने का अधिकार मिलता है।

जीपीडीपी तैयारी प्रक्रिया

जीपीडीपी तैयारी में अनेक प्रमुख चरण शामिल हैं:

- तैयारी: स्थानीय निवासियों सहित सभी संबंधित हितधारकों की पहचान की जाती है और उन्हें ग्राम सभा की बैठक के लिए आमंत्रित किया जाता है।

- संसाधन मानचित्रण: समुदाय के भीतर उपलब्ध संसाधनों को समझें। इसमें भूमि, जल स्रोत, कौशल आदि जैसी मूर्त और अमूर्त दोनों संपत्तियां शामिल हैं।

- मूल्यांकन की आवश्यकता: सर्वेक्षणों, बैठकों और चर्चाओं के माध्यम से समुदाय की जरूरतों की पहचान करें। इससे उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है जिन पर ध्यान और विकास की आवश्यकता है।

- योजना निर्माण: पहचाने गए संसाधनों और जरूरतों के आधार पर, एक योजना का मसौदा तैयार किया जाता है। इसमें पहचानी गई जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक रणनीतियाँ, कार्य और संसाधन शामिल हैं।

- अनुमोदन और कार्यान्वयन: अंतिम योजना को अनुमोदन के लिए ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाता है। एक बार मंजूरी मिलने के बाद, योजना को समुदाय के सदस्यों और अन्य हितधारकों की मदद से लागू किया जाता है।

जीपीडीपी तैयारी को सुविधाजनक बनाने में प्रशिक्षकों/ संसाधन व्यक्तियों की भूमिका

प्रशिक्षक या संसाधन व्यक्ति जीपीडीपी तैयारी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपकी मुख्य भूमिका पूरी प्रक्रिया में समुदाय का मार्गदर्शन और समर्थन करना है, यह सुनिश्चित करना कि यह समावेशी और भागीदारीपूर्ण हो। यहां कुछ प्रमुख क्षेत्र दर्शाए जा रहे हैं जहां प्रशिक्षक सहायता प्रदान कर सकते हैं:

ग्राम सभा बैठक की तैयारी

- सुनिश्चित करें कि सभी हितधारकों की पहचान की जाए और उन्हें बैठक में आमंत्रित किया जाए। इसमें स्थानीय निवासी, स्थानीय सरकारी अधिकारी और अन्य सामुदायिक नेता शामिल हैं।

- बैठक के लिए एजेंडा निर्धारित करने में सहायता करें, यह सुनिश्चित करें कि जीपीडीपी तैयारी के लिए सभी महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं।

संसाधन मानचित्रण के दौरान

- समुदाय के भीतर उपलब्ध संसाधनों की पहचान करने में समुदाय का मार्गदर्शन करें।
- भविष्य में संदर्भ के लिए इन संसाधनों का दस्तावेजीकरण करने में सहायता करें।

आवश्यकताओं के आंकलन के दौरान

- समुदाय की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की पहचान करने के लिए सामुदायिक चर्चा को सुविधाजनक बनाना।
- समुदाय की जरूरतों को समझने के लिए सर्वेक्षण या अन्य डेटा संग्रह विधियों का संचालन करने में सहायता करें।

योजना निर्माण के दौरान

- पहचाने गए संसाधनों और जरूरतों के आधार पर जीपीडीपी का मसौदा तैयार करने में समुदाय की मदद करें।
- सुनिश्चित करें कि योजना व्यापक है, सभी पहचानी गई आवश्यकताओं को संबोधित करती है और उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करती है।

अनुमोदन और कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान

- अनुमोदन के लिए जीपीडीपी को ग्राम सभा में प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करना।
- योजना के कार्यान्वयन के दौरान समुदाय का समर्थन करें, यह सुनिश्चित करें कि सभी कार्य योजना के अनुसार किए जाएं।

ग्राम पंचायत रिसोर्स एनवेलप

वित्त आयोग से
- केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त राशि
- राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि

योजनाओं से
- केंद्र सरकार की योजनाओं से प्राप्त अनुदान
- राज्य सरकार की योजनाओं से प्राप्त अनुदान

स्वयं की आय से
- अनिवार्य करों से आय
- वैकल्पिक करों से आय

अन्य स्त्रोतों से
- स्वैच्छिक योगदान
- सी.एस.आर निधि / फंड, आदि

ग्राम पंचायत स्तर प्रारूप - प्रशिक्षक के स्वयं के संदर्भ और उपयोग के लिए प्रस्तावित

गतिविधि विवरण	बजट (रुपये)	थीम	फंड का स्रोत (योजना/ ग्राम पंचायत की स्वयं की आय, आदि)	संबंधित विभाग/ एजेंसी	कनवरजेंस/ अभिसरण के अवसर	कार्यान्वयन समयरेखा	इंडिकेटर्स	गतिविधि प्रगति स्थिति (पूर्ण/प्रगति पर/ प्रारंभ नहीं)	व्यय (रुपये)	रिमार्क
गतिविधि 1										
गतिविधि 2										
गतिविधि 3										
...										
...										

11.1.2 एकीकृत विकास दृष्टिकोण में ब्लॉक और जिला स्तरीय योजना की महत्वपूर्ण भूमिका

ब्लॉक और जिला स्तरीय योजना एक सर्वव्यापी विकास दृष्टिकोण के लिए अभिन्न अंग हैं, जो पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के सभी क्षेत्रों और स्तरों की योजनाओं के लिए सांठगांठ के रूप में कार्य करते हैं।

ब्लॉक स्तरीय योजना: एकीकरण का सेतु

ब्लॉक स्तरीय योजना एक एकीकृत विकास दृष्टिकोण का मार्ग प्रशस्त करती है, जहां सभी क्षेत्रों और पीआरआई स्तरों की योजनाएं मिलती हैं। ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) इस प्रक्रिया की देखरेख करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि जीपीडीपी दिशानिर्देशों के अनुसार और भागीदारी तरीके से तैयार किए जाते हैं, और ब्लॉक योजना में समेकित किए जाते हैं।

ब्लॉक पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) के लिए एमओपीआर के अनुसार समय सारणी

क्रमांक संख्या	गतिविधियां	समयरेखा
1	ब्लॉक सभा की बैठकों में योजना प्रक्रिया की शुरूआत	नवंबर माह में
2	थीमवार/क्षेत्रकवार डेटा संग्रह, संकलन और स्थितिजन्य विश्लेषण	दिसंबर तक
3	थीमवार प्राथमिकता और सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप को फंड आवंटन	7 जनवरी तक
4	थीमवार ड्राफ्ट योजना और बजट की तैयारी तथा ब्लॉक पंचायत की ड्राफ्ट योजना और बजट को ब्लॉक पंचायत योजना समिति/ स्थायी समिति की बैठकों में रखना	10 जनवरी तक
5	ब्लॉक पंचायत की ड्राफ्ट योजना और बजट को विशेष ब्लॉक सभा में प्रस्तुत करना	15 जनवरी तक
6	ब्लॉक पंचायत की ड्राफ्ट योजना एवं बजट को अनुमोदन के लिए ब्लॉक सभा की बैठक में रखना	31 जनवरी तक

ब्लॉक स्तर प्रारूप- प्रशिक्षक के स्वयं के संदर्भ और उपयोग के लिए प्रस्तावित

ग्राम पंचायत का नाम	थीम	स्वीकृत गतिविधियों की कुल संख्या	बजट अनुमान (लाख रूपये)	प्राप्त धनराशि (लाख रूपये)	पूर्ण गतिविधियों की संख्या	प्रगतिरत गतिविधियों की संख्या	प्रारंभ नहीं की गई गतिविधियों की संख्या	व्यय (लाख रूपये)	रिमार्क
ग्राम पंचायत 1	थीम 1								
	थीम 2								
ग्राम पंचायत 2	थीम 1								
...	थीम 2								
ब्लॉक स्तरीय विशिष्ट गतिविधियाँ									

जिला स्तरीय योजना: एक समग्र परिप्रेक्ष्य

जिला योजना जिले की विकासात्मक स्थिति और जरूरतों का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। जिला कलेक्टर या जिला परिषद के सीईओ इस प्रक्रिया की देखरेख करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ब्लॉक योजनाएं दिशानिर्देशों के अनुरूप हों, और जिला योजना में समेकित हों।

जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी) के लिए एमओपीआर के अनुसार समय सारणी

क्रमांक संख्या	गतिविधियां	समयरेखा
1	जिला सभा की बैठकों में योजना प्रक्रिया की शुरूआत	दिसंबर माह में
2	थीमवार/क्षेत्रकवार डेटा संग्रह, संकलन और स्थितिजन्य विश्लेषण	नवंबर तक
3	थीमवार प्राथमिकता और सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप को फंड आवंटन	7 फरवरी तक
4	थीमवार ड्राफ्ट योजना और बजट की तैयारी तथा जिला पंचायत की ड्राफ्ट योजना और बजट को जिला पंचायत योजना समिति/ स्थायी समिति की बैठकों में रखना	10 फरवरी तक
5	जिला पंचायत की ड्राफ्ट योजना और बजट को विशेष जिला सभा में प्रस्तुत करना	15 फरवरी तक
6	जिला पंचायत की ड्राफ्ट योजना एवं बजट को अनुमोदन के लिए जिला सभा की बैठक में रखना	31 फरवरी तक

जिला स्तर प्रारूप- प्रशिक्षक के स्वयं के संदर्भ और उपयोग के लिए प्रस्तावित

ब्लॉक का नाम	थीम	स्वीकृत गतिविधियों की कुल संख्या	बजट अनुमान (लाख रूपये)	प्राप्त धनराशि (लाख रूपये)	पूर्ण गतिविधियों की संख्या	प्रगतिरत गतिविधियों की संख्या	प्रारंभ नहीं की गई गतिविधियों की संख्या	व्यय (लाख रूपये)	रिमार्क
ब्लॉक 1	थीम 1								
	थीम 2								
ब्लॉक 2	थीम 1								
...	थीम 2								
जिला स्तरीय विशिष्ट गतिविधियाँ									

11.2 कार्य चेकलिस्ट: प्रशिक्षकों के लिए एक रोडमैप

प्रशिक्षकों के रूप में, आप यह सुनिश्चित करने में भूमिका निभाते हैं कि स्थानीय स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को समझा जाए और उन पर कार्य किया जाए। आप पूरी प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण हैं। इसमें समुदाय को एसडीजी के बारे में जागरूक करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि उन्हें ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल किया जाए। इस काम को अच्छी तरह से करने आपकी मदद करने के लिए एक विस्तृत चेकलिस्ट तैयार की गई है। इस चेकलिस्ट का उद्देश्य एक रोडमैप के रूप में काम करना है, जो आपके मार्गदर्शन में सहायक होगी।

एसडीजी को समझना

- सभी 17 सतत् विकास लक्ष्यों और उनके 169 टार्गेट्स की गहन समीक्षा करें।
- प्रत्येक लक्ष्य के दृष्टिकोण और निहितार्थ से स्वयं को परिचित करें।
- स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में प्रत्येक लक्ष्य की प्रासंगिकता को समझें।

जिला विशिष्ट एसडीजी डेटा को समझना

- इस मैनुअल में शामिल जिला एसडीजी सूचकांक और जिला एसडीजी प्रोफाइल का अध्ययन करें।
- जिस जिले में आप काम कर रहे हैं, उसके एसडीजी प्रदर्शन को समझें, जिसमें उसकी ताकत और सुधार के क्षेत्र भी शामिल हैं।
- प्राथमिकता वाले एसडीजी संकेतकों की पहचान करने के लिए इन उपकरणों का उपयोग करें जिन्हें आपके जिले में तेजी लाने की आवश्यकता है।

प्रशिक्षण के लिए योजना बनाना और तैयारी करना

- प्रशिक्षण सत्र के लिए स्पष्ट उद्देश्य स्थापित करें।
- अपने दर्शकों और उनकी सीखने की ज़रूरतों को पहचानें और समझें।
- प्रशिक्षण सत्रों को आकर्षक और सहभागी बनाने के लिए डिज़ाइन करें।
- प्रत्येक अनुभाग के लिए दर्शकों के संदर्भ के अनुरूप व्यापक सामग्री तैयार करें।
- समुदाय की सांस्कृतिक और सामाजिक विशिष्टताओं का सम्मान करें और उन पर विचार करें।

प्रशिक्षण सत्र का संचालन

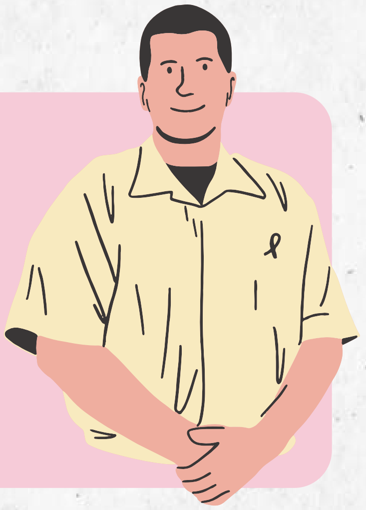

- प्रतिभागियों को सत्र के उद्देश्य और उद्देश्यों के बारे में बताएं।
- सभी की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करें।
- समूह चर्चा, रोल-प्ले, क्विज़ आदि जैसी इंटरैक्टिव और भागीदारी पद्धतियों का उपयोग करें।
- अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए प्रासंगिक उदाहरण और केस अध्ययन प्रदान करें।
- प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों और शंकाओं का समाधान करें।

जांचना और परखना

- प्रत्येक सत्र के अंत में प्रतिभागियों से फीडबैक लें।
- फीडबैक और टिप्पणियों के आधार पर प्रशिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।
- सुधार और वृद्धि के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करें।
- फीडबैक और मूल्यांकन से प्राप्त अंतर्दृष्टि के आधार पर भविष्य के प्रशिक्षण सत्रों को अपनाएं।

जीपीडीपी, ब्लॉक और जिला स्तरीय योजनाओं को सुविधाजनक बनाना

- ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ, ब्लॉक योजनाएँ और जिला योजनाएँ बनाने की प्रक्रिया को समझें।
- पूरी प्रक्रिया में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करें।
- सामुदायिक संसाधनों और आवश्यकताओं की पहचान को सुगम बनाना।
- पहचानी गई आवश्यकताओं और संसाधनों के आधार पर योजनाओं का मसौदा तैयार करने का मार्गदर्शन करें।
- सुनिश्चित करें कि योजनाएँ सतत् विकास लक्ष्यों/विषयों के अनुरूप हों।

प्रशिक्षकों के लिए सांकेतिक चेकलिस्ट यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे जीपीडीपी तैयारी को प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बना रहे हैं:

- क्या सभी हितधारकों की पहचान की गई है और उन्हें ग्राम सभा की बैठक में आमंत्रित किया गया है?
- क्या बैठक का एजेंडा निर्धारित है और क्या इसमें सभी आवश्यक बिंदु शामिल हैं?
- क्या सभी सामुदायिक संसाधनों की पहचान और दस्तावेजीकरण कर लिया गया है?
- क्या समुदाय की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की पहचान कर ली गई है?
- क्या जीपीडीपी व्यापक है और क्या यह सभी चिन्हित आवश्यकताओं को पूरा करता है?
- क्या जीपीडीपी को अनुमोदन के लिए ग्राम सभा में प्रस्तुत किया गया है?
- क्या योजना जीपीडीपी के अनुसार क्रियान्वित की जा रही है?।

प्रशिक्षकों के लिए सांकेतिक चेकलिस्ट यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे बीपीडीपी और डीपीडीपी की तैयारी प्रभावी ढंग से कर रहे हैं:

- क्या क्षेत्र के भीतर सभी विकासात्मक आवश्यकताओं की पहचान की गई है और उन्हें प्राथमिकता दी गई है?
- क्या उन परियोजनाओं के लिए संसाधन आवंटित किए गए हैं जिनका व्यापक प्रभाव है, जिससे बड़ी आबादी को लाभ हो रहा है?
- क्या सामाजिक नियोजन को ब्लॉक और जिला दोनों योजनाओं के एक अनिवार्य भाग के रूप में शामिल किया गया है?
- क्या विभिन्न क्षेत्रों और पहलों को उनके सामूहिक प्रभाव को अधिकतम करने के लिए संरेखित और समन्वित किया गया है?
- क्या लैंगिक मुद्दों पर ध्यान दिया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि योजनाएँ समावेशी और लैंगिक-उत्तरदायी हैं?
- क्या सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को विषयगत दृष्टिकोण के माध्यम से स्थानीय संदर्भ में अनुकूलित किया गया है?
- क्या स्वच्छता और जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सेवाओं को प्राथमिकता दी गई है?
- क्या आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और गरीबी कम करने के लिए प्रभावी रणनीतियों को लागू करने पर विशेष ध्यान दिया गया है?

सुविधा के लिए कार्यवाही कदम

- सुनिश्चित करें कि सभी हितधारकों की पहचान कर ली गई है और उन्हें ग्राम सभा की बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है।
- बैठक के लिए एजेंडा निर्धारित करने में सहायता करें, यह सुनिश्चित करें कि जीपीडीपी तैयारी के लिए सभी महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं।
- ग्राम पंचायत को उनके उपलब्ध संसाधनों की पहचान करने और उनका दस्तावेजीकरण करने में मार्गदर्शन करें।
- समुदाय की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की पहचान करने के लिए ग्राम सभा चर्चा को सुविधाजनक बनाना।
- जीपीडीपी का मसौदा तैयार करने में ग्राम पंचायत का समर्थन करें।
- अनुमोदन के लिए जीपीडीपी को ग्राम सभा में प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करना।
- यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी कार्य योजना के अनुसार किए गए हैं, योजना के उचित कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना।

यह कार्यसूची (चेकलिस्ट) प्रशिक्षकों की सुविधा के लिए एक मार्गदर्शिका है। यह किसी भी तरह से संपूर्ण नहीं है, लेकिन इसके उपयोग से प्रशिक्षक सतत् विकास की दिशा में जिले का मार्गदर्शन कर सकते हैं। प्रशिक्षकों की तालमेल बिठाने की क्षमता, दूसरों को समझने की क्षमता और समर्पण ही वे प्रमुख कारक होंगे जिनकी वजह से प्रशिक्षक वैश्विक लक्ष्यों और स्थानीय वास्तविकताओं के बीच अंतर को पाटने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे।

SDGCC
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
COORDINATION CENTRE